सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

चैत्र 6, सोमवार, शाके 1934, मार्च 26, 2012
Chaitra 6, Monday, Saka 1934, March 26, 2012

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी
किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 26 मार्च, 2012

एस.ओ.184.– राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 86 और 87 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 74 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 57 का संशोधन** .– राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 57 में खण्ड (iii) के नीचे आये विद्यमान द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

> ''परन्तु यह और कि उस दशा में जहाँ रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को लिखत में शुल्क प्रभावित करने वाले उल्लिखित तथ्यों की सत्यता के बारे में कोई संदेह हो तो तथ्यों की सत्यता अभिनिश्चित करने और तदनुसार बाजार मूल्य अवधारित करने के लिए वह स्वयं सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकेगा या स्टाम्प महानिरीक्षक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अपने अधीनस्थ कर्मचारी को सम्पत्ति के निरीक्षण के लिए निदिष्ट कर सकेगा।''

3. **नियम 58 का प्रतिस्थापन.**– उक्त नियमों के विद्यमान नियम 58 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''**58 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सम्पत्ति के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए प्रक्रिया.**– (1) स्थावर सम्पत्ति संबंधी किसी लिखत के मामले में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भूमि का बाजार मूल्य, नियम 2 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा समय–समय पर सिफारिश की गयी दरों या स्टाम्प

महानिरीक्षक द्वारा समय-समय पर अनुमोदित दरों, इनमें से जो भी अधिक हो, के आधार पर निर्धारित किया जायेगा और संनिर्मित भाग का बाजार मूल्य, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित दरों के आधार पर निर्धारित किया जायेगाः

परन्तु यदि जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी दरें, विद्यमान दरों के पचास प्रतिशत से अधिक बढ़ायी जाती हैं तो इस प्रकार सिफारिश की गयी बढ़ी हुई दरों पर राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् ही विचार किया जायेगा।

(2) जिला स्तरीय समिति, भूमि के बाजार मूल्यों की सिफारिश करते समय अन्य सुसंगत कारकों के अतिरिक्त, निम्नलिखित पर विचार करेगी, अर्थात्:-

(i) उन क्षेत्रों में जहां बन्दोबस्त पूर्ण हो गया है, वहां भूमि की दरें मीट्रिक यूनिट में अवधारित की जायेंगी।

(ii) वृहत् राजमार्ग (मेगा हाइवे) और राज्य राजमार्ग के समीपस्थ भूमि के लिए सिफारिश की गयी दरें, उसके निकटस्थ राष्ट्रीय राजमार्ग के समीपस्थ भूमि के लिए सिफारिश की गयी दरों के समान होंगी।

(iii) राष्ट्रीय राजमार्ग, वृहत् राजमार्ग (मेगा हाइवे) और राज्य राजमार्ग के समीपस्थ कृषि भूमि के लिए सिफारिश की गयी दरें, राष्ट्रीय राजमार्ग, वृहद राजमार्ग (मेगा हाइवे) और, यथास्थिति, राज्य राजमार्ग से 100 मीटर तक स्थित भूमि के मामले में, उस क्षेत्र की कृषि भूमि के लिए सिफारिश की गयी सामान्य दरों के तीन गुना से, और 100 मीटर से अधिक तथा 500 मीटर तक स्थित भूमि के मामले में दो गुना से, कम नहीं होंगी।

(iv) नगर निगम/नगर परिषद्/नगरपालिक बोर्ड/जयपुर विकास प्राधिकरण /जोधपुर विकास प्राधिकरण/नगर सुधार न्यास/छावनी बोर्ड और अन्य स्थानीय निकाय के परिधीय क्षेत्रों के भीतर या नगरीकरण के लिए साध्य मास्टर प्लान के क्षेत्र की सीमा तक स्थित 1000 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि के लिए सिफारिश की गयी दर पृथक् होगी और ऐसी दरों का निर्धारण, अन्य सुसंगत कारकों पर विचार करने के पश्चात्, इसमें ऊपर उल्लिखित प्राधिकरणों द्वारा विकसित/विनियमित निकटस्थ कॉलोनियों के लिए आरक्षित की गयी दरों में से विकास प्रभारों को कम करने के पश्चात् किया जाना चाहिए।

(v) नगरपालिक क्षेत्रों में भूमि के लिए सिफारिश की गयी दरें, उस क्षेत्र के लिए सुसंगत नियमों के अधीन संबंधित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अवधारित आरक्षित कीमत की दरों से कम नहीं होंगी।

(vi) संस्थागत प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें आवासिक भूमि की दर के डेढ़ गुना से कम नहीं होंगी और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें ऐसी भूमि के 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र की दरों या उस क्षेत्र की आवासिक भूमि की दरों, इनमें जो भी कम हों, से कम नहीं होंगी।

स्पष्टीकरणः इस नियम के प्रयोजनों के लिए संस्थागत प्रयोजन में विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल इत्यादि सम्मिलित हैं और औद्योगिक प्रयोजन में कृषि आधारित उद्योग, केमिकल और फार्मास्यूटिकल उद्योग, टैक्सटाइल उद्योग, सीमेन्ट उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, कांच उद्योग, पर्यटन उद्योग इत्यादि सम्मिलित हैं।

(vii) खनन प्रयोजनों के लिए पट्टे पर दी गयी या अन्यथा आवंटित भूमि की दरें कृषि भूमि की दरों के दो गुने से कम नहीं होंगी।

(viii) स्थानीय प्राधिकारियों, निगमों इत्यादि द्वारा लोक नीलाम के माध्यम से विक्रीत सम्पत्तियों की उच्चतम नीलाम दरों को ध्यान में रखा जायेगा।

(ix) वह प्रयोजन, जिसके लिए ऐसे नगरों में, जहां मास्टर प्लान अनुमोदित हो गया है, मास्टर प्लान के नगरयोग्य क्षेत्र में भू-उपयोग को उपदर्शित किया गया है।

(x) कंपनियों या भागीदारी फर्मों द्वारा, किसी भी प्रयोजन के लिए क्रय की गयी कृषि भूमि को गैर-कृषिक प्रयोजन के रूप में माना जायेगा और दरें उक्त प्रयोजन के अनुसार लागू की जायेंगी और ऐसे प्रयोजन के स्पष्ट न होने पर ऐसी दरें संस्थागत प्रयोजन की दरों से कम नहीं होंगी।

(3) यदि जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी भूमि की दरों को ऐसी सिफारिश की तारीख से एक वर्ष के भीतर-भीतर पुनरीक्षित नहीं किया गया है या यदि किसी क्षेत्र में की भूमि के बाजार मूल्य में सारभूत रूप से वृद्धि या कमी हुई है तो राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या स्टाम्प महानिरीक्षक द्वारा किये गये निर्देश पर या तो ऐसी वृद्धि या कमी को प्रकट करने वाले कारकों पर अपने स्वयं के स्तर पर विचार करके या इस प्रयोजन के लिए अध्यक्ष के रूप में सचिव, वित (राजस्व) और सदस्यों के रूप में स्टाम्प महानिरीक्षक, संबंधित जिले का कलक्टर और सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट उस जिले के किसी लोक प्रतिनिधि से गठित समिति द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर ऐसे क्षेत्रों में भूमि की दरों को पुनः अवधारित कर सकेगी। इस प्रकार अवधारित दरें ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण का आधार होंगी और तब तक मान्य होंगी जब तक कि जिला स्तरीय समिति इस प्रकार अवधारित दरों को पुनरीक्षित नहीं करे।''

4. नियम 62 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 62 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

''**62 पुरस्कार.**- इस अधिनियम के अधीन अपवंचित स्टाम्प शुल्क और शास्ति की वसूली में या किसी अपराधी की दोषसिद्धि में कलक्टर किसी भी व्यक्ति को, जिसके बारे में उसे प्रतीत हो कि उसने इसमें योगदान दिया है, राज्य सरकार द्वारा ऐसा पुरस्कार प्रदान करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बनायी गयी स्कीम के अनुसार, पुरस्कार प्रदान कर सकेगा।''।

[एफ.12(15)वित्त/कर/12-95]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. रविकुमार एस.,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 26 मार्च, 2012

एस.ओ.185.- राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम सं. 4) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान भूमि कर नियम, 2006 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान भूमि कर (संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) ये तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 3 का संशोधन.-** राजस्थान भूमि कर नियम, 2006, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 3 के खण्ड (क) के विद्यमान उप-खण्ड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

''(iv) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उसके निगमों या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किसी व्यक्ति, संस्था या फर्म आदि को पट्टे पर या अन्यथा दी गयी भूमि और जो भूमि कर के लिए दायी है, के संबंध में ऐसी सरकारें, निगमों या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी से कोई तथ्यात्मक विवरण या जानकारी की मांग करना।''

3. **नियम 13 का संशोधन.-** उक्त नियमों के नियम 13 के उप-नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''धारा 48 या 50 के अधीन अपील का ज्ञापन'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''धारा 48, 50 या 51 के अधीन अपील का ज्ञापन'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. **नियम 17 का हटाया जाना.-** उक्त नियमों का विद्यमान नियम 17 हटाया जायेगा।

5. **प्ररूप 11 का संशोधन.-** उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप 11 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 की धारा 48 या 50 के अधीन अपील का ज्ञापन'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 की धारा 48, 50 या 51 के अधीन अपील का ज्ञापन'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

6. **प्ररूप 12 का हटाया जाना.-** उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप 12 हटाया जायेगा।

[एफ.12(15)वित्त/कर/12-96]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. रविकुमार एस.,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 26 मार्च, 2012

एस.ओ.186.- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस सम्बन्ध में जारी की गयी समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित रुप में जिलों और उप-जिलों का गठन तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण करती है, अर्थात्:-

क्र.सं.	जिले का नाम	जिले की सीमाएं	उप जिले का नाम	रजिस्ट्रीकरण उपजिलों की सीमाएं
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	राजस्व जिला अजमेर	(i) अजमेर	तहसील अजमेर
			(ii) ब्यावर	तहसील, ब्यावर
			(iii) भिनाय	तहसील भिनाय
			(iv) विजयनगर	उप-तहसील, विजयनगर
			(v) केकडी	तहसील केकडी
			(vi) किशनगढ़	तहसील किशनगढ़
			(vii) नसीराबाद	तहसील नसीराबाद
			(viii) पुष्कर	उप-तहसील पुष्कर
			(ix) सरवाड़	तहसील सरवाड़
			(x) टाटगढ़	अतिरिक्त तहसील टाटगढ़
			(xi) मसूदा	तहसील मसूदा
			(xii) पीसांगन	तहसील पीसांगन
			(xiii) रूपनगढ़	उप-तहसील रूपनगढ़
2.	अलवर	राजस्व जिला अलवर	(i) अलवर	तहसील अलवर
			(ii) बहादुरपुर	उप-तहसील बहादुरपुर
			(iii) बहरोड़	तहसील बहरोड़
			(iv) बानसूर	तहसील बानसूर
			(v) गोविन्दगढ़	उप-तहसील गोविन्दगढ़
			(vi) किशनगढ़वास	तहसील किशनगढ़वास
			(vii) कठूमर	तहसील कठूमर
			(viii) लक्ष्मणगढ़	तहसील लक्ष्मणगढ़
			(ix) मालाखेड़ा	उप-तहसील मालाखेड़ा
			(x) नीमराना	उप-तहसील नीमराना
			(xi) रैणी	उप-तहसील रैणी
			(xii) राजगढ़	तहसील राजगढ़
			(xiii) रामगढ़	तहसील रामगढ़
			(xiv) टपूकडा	उप-तहसील टपूकडा (उप-रजिस्ट्रार भिवाडी की अधिकारिता में आने वाले ग्रामों को छोडकर)
			(xv) थानागाजी	तहसील थानागाजी
			(xvi) मुण्डावर	तहसील मुण्डावर
			(xvii) तिजारा	तहसील तिजारा
			(xviii) कोटकासिम	तहसील कोटकासिम
			(xix) भिवाडी	उप-तहसील टपूकडा के ग्राम भिवाड़ी, नंगलिया, घटाल, रामपुरा, शाहडोद, हरचंदपुर, सांथलका, खिज्रपुर, बीलाहेडी, मुंडाना, अमलांकी, कारेंडी, कांरेडा, बहादरी, फलसा, भूडली, गाडपुर, कहरानी, गोधान, बनबन, झीवाना, जोडिया,

					बंदापुर, हुसेपुर, खेडी, मेंहदीका, उंधनवास, कुलावट, सारेखुर्द, सारेकलां, खरखडी, गंधोला, चौपानकी, पथरेडी, फकरूद्दीनका, खोहरी कलां, खोहरी खुर्द, खातीबास, छापर, लादिया, मयापुर, दांगनहेडी, कर्मपुर, बूरेडा, कारोली, करमसीबास, खुशखेडा, महेशरा, धामावास, राबडका, सलारपुर, साहपुर, हुर्सीगपुर, बनवीरपुर, बीबीपुर, तातारपुर, कालाका, थडा, उदयपुर, सींथल, खिजूरीबास, मिलकपुरगुर्जर, खानपुर, आलमपुर, सैदपुर एवं चुहडपुर।
3.	बांसवाडा	राजस्व जिला बांसवाडा	(i)	बांसवाडा	तहसील बांसवाड़ा
			(ii)	बागीदौरा	तहसील बागीदौरा
			(iii)	आनन्दपुरी	उप-तहसील आनन्दपुरी
			(iv)	गढी	तहसील गढी
			(v)	घाटौल	तहसील घाटौल
			(vi)	कुशलगढ़	तहसील कुशलगढ़
			(vii)	सज्जनगढ़	उप-तहसील सज्जनगढ
4.	बारां	राजस्व जिला बारां	(i)	बारां	तहसील बारां
			(ii)	छीपाबडौद	तहसील छीपाबडौद
			(iii)	छबड़ा	तहसील छबड़ा
			(iv)	मांगरोल	तहसील मांगरोल
			(v)	शाहबाद	तहसील शाहबाद
			(vi)	केलवाड़ा	उप-तहसील केलवाडा
			(vii)	अटरू	तहसील अटरू
			(viii)	अन्ता	तहसील अन्ता
			(ix)	किशनगंज	तहसील किशनगंज
5.	बाड़मेर	राजस्व जिला बाड़मेर	(i)	बाडमेर	तहसील बाडमेर
			(ii)	चौहटन	तहसील चौहटन
			(iii)	गुढामलानी	तहसील गुढामलानी
			(iv)	गढरारोड़	उप-तहसील गढरारोड
			(v)	पचपदरा	तहसील पचपदरा
			(vi)	शिव	तहसील शिव
			(vii)	सिवाना	तहसील सिवाना
			(viii)	बायतू	तहसील बायतू
			(ix)	रामसर	तहसील रामसर

			(x)	गिडा	उप-तहसील गिडा
			(xi)	जसौल	उप-तहसील जसौल
			(xii)	सिन्दरी	उप-तहसील सिन्दरी
			(xiii)	सेडवा	उप-तहसील सेडवा
6.	भरतपुर	राजस्व जिला भरतपुर	(i)	भरतपुर	तहसील भरतपुर
			(ii)	बयाना	तहसील बयाना
			(iii)	नदबई	तहसील नदबई
			(iv)	डीग	तहसील डीग
			(v)	कुम्हेर	तहसील कुम्हेर
			(vi)	कामां	तहसील कामां
			(vii)	पहाड़ी	तहसील पहाड़ी
			(viii)	रूपवास	तहसील रूपवास
			(ix)	नगर	तहसील नगर
			(x)	बैर	तहसील बैर
			(xi)	सीकरी	उप-तहसील सीकरी
			(xii)	उच्चैन	उप-तहसील उच्चैन
			(xiii)	भुसावर	उप-तहसील भुसावर
7.	भीलवाड़ा	राजस्व जिला भीलवाडा	(i)	भीलवाड़ा	तहसील भीलवाड़ा
			(ii)	बदनौर	अतिरिक्त तहसील बदनौर
			(iii)	बनेड़ा	तहसील बनेड़ा
			(iv)	आसीन्द	तहसील आसीन्द
			(v)	बिजौलिया	तहसील बिजौलिया
			(vi)	हमीरगढ़	उप-तहसील हमीरगढ़
			(vii)	हुरड़ा	तहसील हुरड़ा
			(viii)	जहाजपुर	तहसील जहाजपुर
			(ix)	करेड़ा	अतिरिक्त तहसील करेड़ा
			(x)	कोटडी	तहसील कोटडी
			(xi)	माण्डल	तहसील माण्डल
			(xii)	माण्डलगढ़	तहसील माण्डलगढ़
			(xiii)	फुलियाकलां	उप-तहसील फुलियाकलां
			(xiv)	रायपुर	तहसील रायपुर
			(xv)	सहाड़ा	तहसील सहाड़ा
			(xvi)	शाहपुरा	तहसील शाहपुरा
8.	बीकानेर	राजस्व जिला बीकानेर	(i)	बीकानेर	तहसील बीकानेर
			(ii)	बज्जू	उप-तहसील बज्जू
			(iii)	छतरगढ़	तहसील छतरगढ़
			(iv)	डूंगरगढ़	तहसील डूंगरगढ़
			(v)	कोलायत	तहसील कोलायत
			(vi)	खाजूवाला	तहसील खाजूवाला
			(vii)	लूणकरणसर	तहसील लूणकरणसर

			(viii)	नौखा	तहसील नौखा
			(ix)	पूंगल	तहसील पूंगल
9.	बून्दी	राजस्व जिला बूंदी	(i)	बून्दी	तहसील बून्दी
			(ii)	नैनवा	तहसील नैनवा
			(iii)	हिण्डोली	तहसील हिण्डोली
			(iv)	तालेड़ा	उप-तहसील तालेड़ा
			(v)	केशोरायपाटन	तहसील केशोरायपाटन
			(vi)	इन्द्रगढ़	तहसील इन्द्रगढ़
			(vii)	देई	उप-तहसील देई
10.	चित्तौड़गढ़	राजस्व जिला चित्तौडगढ़	(i)	चित्तौड़गढ़	तहसील चित्तौडगढ़
			(ii)	बडी सादडी	तहसील बड़ी सादडी
			(iii)	बेगू	तहसील बेगू
			(iv)	भैंसरोड़गढ़ (रावतभाटा)	तहसील भैंसरोड़गढ़ (रावतभाटा)
			(v)	भूपालसागर	उप-तहसील भूपालसागर
			(vi)	अरनोद	तहसील अरनोद
			(vii)	डूंगला	तहसील डूंगला
			(viii)	गंगरार	तहसील गंगरार
			(ix)	कपासन	तहसील कपासन
			(x)	निम्बाहेड़ा	तहसील निम्बाहेड़ा
			(xi)	पारसोली	उप-तहसील पारसोली
			(xii)	राशमी	तहसील राशमी
			(xiii)	भदेसर	तहसील भदेसर
			(xiv)	भादसोड़ा	उप-तहसील भादसोड़ा
11.	चूरू	राजस्व जिला चूरू	(i)	चूरू	तहसील चूरू
			(ii)	भानीपुरा	उप-तहसील भानीपुरा
			(iii)	बीदासर	अतिरिक्त तहसील बीदासर
			(iv)	राजगढ़	तहसील राजगढ़
			(v)	रतनगढ़	तहसील रतनगढ़
			(vi)	सरदार शहर	तहसील सरदार शहर
			(vii)	सुजानगढ़	तहसील सुजानगढ़
			(viii)	सिद्धमुख	उप-तहसील सिद्धमुख
			(ix)	तारानगर	तहसील तारानगर
12.	दौसा	राजस्व जिला दौसा	(i)	दौसा	तहसील दौसा
			(ii)	सिकराय	तहसील सिकराय
			(iii)	लालसोट	तहसील लालसोट
			(iv)	महुवा	तहसील महुवा
			(v)	बसवा	तहसील बसवा
			(vi)	लवाण	उप-तहसील लवाण
13.	धौलपुर	राजस्व	(i)	धौलपुर	तहसील धौलपुर

		जिला धौलपुर	(ii)	राजाखेड़ा	तहसील राजाखेड़ा
			(iii)	मनियां	उप-तहसील मनियां
			(iv)	सैपऊ	तहसील सैपऊ
			(v)	बाड़ी	तहसील बाड़ी
			(vi)	बसेड़ी	तहसील बसेड़ी
			(vii)	सरमथुरा	अतिरिक्त तहसील सरमथुरा
			(viii)	कंचनपुर	उप-तहसील कंचनपुर
14.	डूंगरपुर	राजस्व जिला डूंगरपुर	(i)	डूंगरपुर	तहसील डूंगरपुर
			(ii)	आसपुर	तहसील आसपुर
			(iii)	सागवाड़ा	तहसील सागवाड़ा
			(iv)	सिमलवाड़ा	तहसील सिमलवाड़ा
			(v)	गलियाकोट	उप-तहसील गलियाकोट
			(vi)	चीखली	उप-तहसील चीखली
15.	हनुमानगढ़	राजस्व जिला हनुमानगढ	(i)	हनुमानगढ़	तहसील हनुमानगढ़
			(ii)	पीलीबंगा	तहसील पीलीबंगा
			(iii)	संगरिया	तहसील संगरिया
			(iv)	टिब्बी	तहसील टिब्बी
			(v)	रावतसर	तहसील रावतसर
			(vi)	नोहर	तहसील नोहर
			(vii)	भादरा	तहसील भादरा
			(viii)	छानी बड़ी	उप-तहसील छानी बड़ी
			(ix)	पल्लू	उप-तहसील पल्लू
			(x)	डबलीराठान	उप-तहसील डबलीराठान
16.	जयपुर	राजस्व जिला जयपुर	(i)	जयपुर	तहसील जयपुर, तहसील सांगानेर, तहसील आमेर
			(ii)	विराटनगर	तहसील विराटनगर
			(iii)	बस्सी	तहसील बस्सी
			(iv)	चाकसू	तहसील चाकसू
			(v)	चौंमू	तहसील चौंमू
			(vi)	मोजमाबाद	तहसील मोजमाबाद
			(vii)	जमवारामगढ़	तहसील जमवारामगढ़
			(viii)	किशनगढ़ रेनवाल	उप-तहसील किशनगढ़ रेनवाल
			(ix)	कोटखावदा	उप-तहसील कोटखावदा
			(x)	कोटपूतली	तहसील कोटपूतली
			(xi)	फागी	तहसील फागी
			(xii)	सांभर	तहसील सांभर
			(xiii)	शाहपुरा	तहसील शाहपुरा
			(xiv)	माधोराजपुरा	उप-तहसील माधोराजपुरा
			(xv)	दूदू	उप-तहसील दूदू

17.	जैसलमेर	राजस्व जिला जैसलमेर	(i)	जैसलमेर	तहसील जैसलमेर
			(ii)	पोकरण	तहसील पोकरण
			(iii)	फतेहगढ़	तहसील फतेहगढ़
18.	जालौर	राजस्व जिला जालौर	(i)	जालौर	तहसील जालौर
			(ii)	चितलवाना	उप-तहसील चितलवाना
			(iii)	भादराजून	उप-तहसील भादराजून
			(iv)	भीनमाल	तहसील भीनमाल
			(v)	आहोर	तहसील आहोर
			(vi)	रानीवाड़ा	तहसील रानीवाड़ा
			(vii)	साँचौर	तहसील साँचौर
			(viii)	सायला	तहसील सायला
			(ix)	बागौड़ा	तहसील बागौड़ा
19.	झालावाड़	राजस्व जिला झालावाड	(i)	झालावाड़	तहसील झालरापाटन
			(ii)	असनावर	उप-तहसील असनावर
			(iii)	अकलेरा	तहसील अकलेरा
			(iv)	पचपहाड़	तहसील पचपहाड़
			(v)	खानपुर	तहसील खानपुर
			(vi)	पिड़ावा	तहसील पिडावा
			(vii)	सुनैल	उप-तहसील सुनैल
			(viii)	गंगधार	तहसील गंगधार
			(ix)	मनोहरथाना	तहसील मनोहरथाना
			(x)	बकानी	उप-तहसील बकानी
			(xi)	डग	उप-तहसील डग
20.	झुन्झुनू	राजस्व जिला झुंझुनू	(i)	झुन्झुनू	तहसील झुन्झुनू
			(ii)	चिड़ावा	तहसील चिड़ावा
			(iii)	बुहाना	तहसील बुहाना
			(iv)	खेतड़ी	तहसील खेतड़ी
			(v)	मलसीसर	उप-तहसील मलसीसर
			(vi)	नवलगढ़	तहसील नवलगढ़
			(vii)	सूरजगढ़	उप-तहसील सूरजगढ़
			(viii)	उदयपुरवाटी	तहसील उदयपुरवाटी
21.	जोधपुर	राजस्व जिला जोधपुर	(i)	जोधपुर	तहसील जोधपुर
			(ii)	बिलाड़ा	तहसील बिलाड़ा
			(iii)	बालेसर	उप-तहसील बालेसर
			(iv)	भोपालगढ़	तहसील भोपालगढ़
			(v)	ओसियां	तहसील ओसियां
			(vi)	फलौदी	तहसील फलौदी
			(vii)	शेरगढ़	तहसील शेरगढ़
			(viii)	लूणी	तहसील लूणी
			(ix)	बाप	उप-तहसील बाप

			(x)	तिंवरी	उप-तहसील तिंवरी
			(xi)	झंवर	उप-तहसील झंवर
22.	करौली	राजस्व जिला करौली	(i)	करौली	तहसील करौली
			(ii)	हिण्डोन	तहसील हिण्डोन
			(iii)	टोडाभीम	तहसील टोड़ाभीम
			(iv)	नादोती	तहसील नादोती
			(v)	सपोटरा	तहसील सपोटरा
			(vi)	करणपुर	उप-तहसील करणपुर
			(vii)	मण्डरायल	तहसील मण्डरायल
			(viii)	मासलपुर	उप-तहसील मासलपुर
23.	कोटा	राजस्व जिला कोटा	(i)	लाडपुरा (कोटा)	तहसील लाडपुरा (कोटा)
			(ii)	रामगंजमंडी	तहसील रामगंजमंडी
			(iii)	सांगोद	तहसील सांगोद
			(iv)	दीगोद	तहसील दीगोद
			(v)	पीपलदा	तहसील पीपलदा
			(vi)	मण्डाना	उप-तहसील मण्डाना
			(vii)	चेचट	उप-तहसील चेचट
			(viii)	कनवास	उप-तहसील कनवास
24.	नागौर	राजस्व जिला नागौर	(i)	नागौर	तहसील नागौर
			(ii)	डेगाना	तहसील डेगाना
			(iii)	जायल	तहसील जायल
			(iv)	खींवसर	तहसील खींवसर
			(v)	कुचामनसिटी	अतिरिक्त तहसील कुचामनसिटी
			(vi)	लाडनू	तहसील लाडनू
			(vii)	मकराना	तहसील मकराना
			(viii)	मेड़तासिटी	तहसील मेड़तासिटी
			(ix)	डीडवाना	तहसील डीडवाना
			(x)	नावां	तहसील नावां
			(xi)	परबतसर	तहसील परबतसर
			(xii)	पीलवा	उप-तहसील पीलवा
			(xiii)	रियां बडी	उप-तहसील रियां बडी
			(xiv)	साँजू	उप-तहसील साँजू
			(xv)	मौलासर	उप-तहसील मौलासर
			(xvi)	भैरून्दा	उप-तहसील भैंरून्दा
			(xvii)	डेह	उप-तहसील डेह
25.	पाली	राजस्व जिला पाली	(i)	पाली	तहसील पाली
			(ii)	देसूरी	तहसील देसूरी
			(iii)	जैतारण	तहसील जैतारण
			(iv)	मारवाड़ जक्शन	तहसील मारवाड जक्शन

				(खारची)	(खारची)
			(v)	बाली	तहसील बाली
			(vi)	रायपुर	तहसील रायपुर
			(vii)	रोहिट	तहसील रोहिट
			(viii)	सुमेरपुर	तहसील सुमेरपुर
			(ix)	सोजत	तहसील सोजत
26.	प्रतापगढ़	राजस्व जिला प्रतापगढ	(i)	प्रतापगढ़	तहसील प्रतापगढ़
			(ii)	छोटी सादडी	तहसील छोटी सादडी
			(iii)	देवगढ़	उप-तहसील, देवगढ़
			(iv)	धारियाबाद	तहसील, धारियाबाद
			(v)	पीपलखूंट	तहसील, पीपलखूंट
27.	राजसमन्द	राजस्व जिला राजसमन्द	(i)	राजसमन्द	तहसील राजसमन्द
			(ii)	भीम	तहसील भीम
			(iii)	देवगढ़	तहसील देवगढ़
			(iv)	गढ़बोर	उप-तहसील गढ़बोर
			(v)	कुम्भलगढ़	तहसील कुम्भलगढ़
			(vi)	कुंवारिया	उप-तहसील कुंवारिया
			(vii)	नाथद्वारा	तहसील नाथद्वारा
			(viii)	आमेट	तहसील आमेट
			(ix)	रेलमगरा	तहसील रेलमगरा
			(x)	सरदारगढ़	उप-तहसील सरदारगढ़
			(xi)	खमनोर	उप-तहसील खमनोर
28.	सवाई माधोपुर	राजस्व जिला सवाई माधोपुर	(i)	सवाईमाधोपुर	तहसील सवाईमाधोपुर
			(ii)	बोली	तहसील बोली
			(iii)	चौथ का बरवाड़ा	तहसील चौथ का बरवाड़ा
			(iv)	गंगापुर सिटी	तहसील गंगापुर सिटी
			(v)	खण्डार	तहसील खण्डार
			(vi)	मलारना डूंगर	तहसील मलारना डूंगर
			(vii)	बामनवास	तहसील बामनवास
			(viii)	बरनाला	उप-तहसील बरनाला
			(ix)	वजीरपुर	उप-तहसील वजीरपुर
			(x)	बहरावन्डा कलां	उप-तहसील बहरावन्डा कलां
29.	श्रीगंगानगर	राजस्व जिला श्रीगंगानगर	(i)	श्रीगंगानगर	तहसील श्रीगंगानगर
			(ii)	अनूपगढ़	तहसील अनूपगढ़
			(iii)	बींझबायला	उप-तहसील बींझबायला
			(iv)	सूरतगढ़	तहसील सूरतगढ़
			(v)	सादुलशहर	तहसील सादुलशहर
			(vi)	श्री करणपुर	तहसील श्री करणपुर
			(vii)	गजसिंहपुर	उप-तहसील गजसिंहपुर

			(viii)	घडसाना	तहसील घडसाना
			(ix)	चुनावड़	उप-तहसील चुनावड़
			(x)	रायसिंह नगर	तहसील रायसिंह नगर
			(xi)	केसरीसिंहपुर	उप-तहसील केसरीसिंहपुर
			(xii)	पदमपुर	तहसील पदमपुर
			(xiii)	मुकलावा	उप-तहसील मुकलावा
			(xiv)	हिन्दूमलकोट	उप-तहसील हिन्दूमलकोट
			(xv)	श्रीविजयनगर	तहसील श्रीविजयनगर
30.	सीकर	राजस्व जिला सीकर	(i)	सीकर	तहसील सीकर
			(ii)	फतेहपुर	तहसील फतेहपुर
			(iii)	लक्ष्मणगढ़	तहसील लक्ष्मणगढ़
			(iv)	खण्डेला	उप-तहसील खण्डेला
			(v)	पलसाना	उप-तहसील पलसाना
			(vi)	नीम का थाना	तहसील नीम का थाना
			(vii)	रामगढ़ शेखावाटी	अतिरिक्त तहसील रामगढ़ शेखावाटी
			(viii)	दांतारामगढ़	तहसील दांतारामगढ़
			(ix)	श्रीमाधोपुर	तहसील श्रीमाधोपुर
31.	सिरोही	राजस्व जिला सिरोही	(i)	सिरोही	तहसील सिरोही
			(ii)	भांवरी	उप-तहसील भांवरी
			(iii)	पिण्डवाड़ा	तहसील पिण्डवाड़ा
			(iv)	रेवदर	तहसील रेवदर
			(v)	आबूरोड़	तहसील आबूरोड़
			(vi)	शिवगंज	तहसील शिवगंज
			(vii)	कालिन्द्री	उप-तहसील कालिन्द्री
			(viii)	मण्डार	उप-तहसील मण्डार
32.	टोंक	राजस्व जिला टोंक	(i)	टोंक	तहसील टोंक
			(ii)	मालपुरा	तहसील मालपुरा
			(iii)	नगर फोर्ट	उप-तहसील नगर फोर्ट
			(iv)	निवाई	तहसील निवाई
			(v)	टोडारायसिंह	तहसील टोडारायसिंह
			(vi)	देवली	तहसील देवली
			(vii)	उनियारा	तहसील उनियारा
			(viii)	पीपलू	तहसील पीपलू
			(ix)	बनेठा	उप-तहसील बनेठा
			(x)	दूनी	उप-तहसील दूनी
33.	उदयपुर	राजस्व जिला उदयपुर	(i)	उदयपुर	तहसील गिर्वा (उदयपुर)
			(ii)	बारापाल	उप-तहसील बारापाल
			(iii)	भिण्डर	उप-तहसील भिण्डर
			(iv)	गोगुन्दा	तहसील गोगुन्दा

			(v)	कोटड़ा	तहसील कोटड़ा
			(vi)	कानोड़	उप-तहसील कानोड़
			(vii)	खेरवाडा	तहसील खेरवाड़ा
			(viii)	कुरावड़	उप-तहसील कुरावड़
			(ix)	लसाडिया	उप-तहसील लसाडिया
			(x)	मावली	तहसील मावली
			(xi)	झाडोल	तहसील झाडोल
			(xii)	सलूम्बर	तहसील सलूम्बर
			(xiii)	सराड़ा	तहसील सराड़ा
			(xiv)	बल्लभनगर	तहसील बल्लभनगर
			(xv)	सनवाड़	उप-तहसील सनवाड़
			(xvi)	रिषभदेव	तहसील रिषभदेव

[एफ.12(15)वित्त/कर/12-97]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. रविकुमार एस.,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 26 मार्च, 2012

एस.ओ.187.- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उप-रजिस्ट्रारों की नियुक्ति से सम्बन्धित इस विभाग की समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारियों को उनके पदाभिधान के आधार पर उनके सामने यथावर्णित रजिस्ट्रीकरण उप-जिले के लिये, इसके द्वारा उप-रजिस्ट्रार नियुक्त करती है, अर्थात्:-

क्र.सं.	*जिला*	*उप-रजिस्ट्रार*		*उपजिला*
1	*2*	*3*		*4*
1.	अजमेर	(i)	उप-रजिस्ट्रार अजमेर-प्रथम	अजमेर
		(ii)	उप-रजिस्ट्रार अजमेर-द्वितीय	
		(iii)	उप-रजिस्ट्रार ब्यावर	ब्यावर
		(iv)	तहसीलदार भिनाय	भिनाय
		(v)	नायब तहसीलदार विजयनगर	विजयनगर
		(vi)	तहसीलदार केकड़ी	केकडी
		(vii)	उप-रजिस्ट्रार किशनगढ़	किशनगढ़
		(viii)	तहसीलदार नसीराबाद	नसीराबाद
		(ix)	नायब तहसीलदार पुष्कर	पुष्कर
		(x)	तहसीलदार सरवाड़	सरवाड़
		(xi)	अतिरिक्त तहसीलदार टाटगढ़	टाटगढ़
		(xii)	तहसीलदार मसूदा	मसूदा
		(xiii)	तहसीलदार पीसांगन	पीसांगन

		(xiv)	नायब तहसीलदार रूपनगढ़	रूपनगढ़
2.	अलवर	(i)	उप-रजिस्ट्रार अलवर-प्रथम	अलवर
		(ii)	उप-रजिस्ट्रार, अलवर-द्वितीय	
		(iii)	नायब तहसीलदार बहादुरपुर	बहादुरपुर
		(iv)	उप-रजिस्ट्रार बहरोड़	बहरोड़
		(v)	तहसीलदार बानसूर	बानसूर
		(vi)	नायब तहसीलदार, गोविन्दगढ़	गोविन्दगढ़
		(vii)	तहसीलदार, किशनगढवास	किशनगढ़वास
		(viii)	तहसीलदार, कठूमर	कठूमर
		(ix)	तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़
		(x)	नायब तहसीलदार, मालाखेडा	मालाखेड़ा
		(xi)	उप-रजिस्ट्रार, नीमराना	नीमराना
		(xii)	नायब तहसीलदार रैणी	रैणी
		(xiii)	तहसीलदार, राजगढ़	राजगढ़
		(xiv)	उप-रजिस्ट्रार, रामगढ़	रामगढ़
		(xv)	नायब तहसीलदार, टपूकड़ा	टपूकडा
		(xvi)	तहसीलदार, थानागाजी	थानागाजी
		(xvii)	तहसीलदार, मुण्डावर	मुण्डावर
		(xviii)	उप-रजिस्ट्रार, तिजारा	तिजारा
		(xix)	तहसीलदार, कोटकासिम	कोटकासिम
		(xx)	उप-रजिस्ट्रार, भिवाड़ी	भिवाडी
3.	बांसवाडा	(i)	उप-रजिस्ट्रार, बांसवाड़ा	बांसवाडा
		(ii)	तहसीलदार, बागीदोरा	बागीदोरा
		(iii)	नायब तहसीलदार, आनन्दपुरी	आनन्दपुरी
		(iv)	तहसीलदार, गढी	गढी
		(v)	तहसीलदार, घाटौल	घाटौल
		(vi)	तहसीलदार, कुशलगढ़	कुशलगढ़
		(vii)	नायब तहसीलदार, सज्जनगढ़	सज्जनगढ़
4.	बांरा	(i)	उप-रजिस्ट्रार, बारां	बांरा
		(ii)	तहसीलदार, छीपाबडौद	छीपाबडौद
		(iii)	तहसीलदार, छबड़ा	छबड़ा
		(iv)	तहसीलदार, मांगरोल	मांगरोल
		(v)	तहसीलदार, शाहबाद	शाहबाद
		(vi)	नायब तहसीलदार, केलवाड़ा	केलवाड़ा
		(vii)	तहसीलदार, अटरू	अटरू
		(viii)	तहसीलदार, अन्ता	अन्ता
		(ix)	तहसीलदार, किशनगंज	किशनगंज
5.	बाड़मेर	(i)	उप-रजिस्ट्रार, बाड़मेर	बाडमेर
		(ii)	तहसीलदार, चौहटन	चौहटन
		(iii)	तहसीलदार, गुढामलानी	गुढामलानी
		(iv)	नायब तहसीलदार, गडरारोड़	गढरारोड़
		(v)	तहसीलदार पचपदरा	पचपदरा
		(vi)	तहसीलदार, शिव	शिव
		(vii)	तहसीलदार सिवाना	सिवाना
		(viii)	तहसीलदार, बायतू	बायतू
		(ix)	तहसीलदार, रामसर	रामसर
		(x)	नायब तहसीलदार, गिडा	गिडा
		(xi)	उप-रजिस्ट्रार, जसौल	जसौल
		(xii)	नायब तहसीलदार,सिन्दरी	सिन्दरी
		(xiii)	नायब तहसीलदार, सेड़वा	सेडवा

6.	भरतपुर	(i)	उप-रजिस्ट्रार, भरतपुर	भरतपुर
		(ii)	तहसीलदार, बयाना	बयाना
		(iii)	तहसीलदार, नदबई	नदबई
		(iv)	तहसीलदार, डीग	डीग
		(v)	तहसीलदार, कुम्हेर	कुम्हेर
		(vi)	तहसीलदार कामां	कामां
		(vii)	तहसीलदार, पहाड़ी	पहाड़ी
		(viii)	तहसीलदार, रूपवास	रूपवास
		(ix)	तहसीलदार, नगर	नगर
		(x)	तहसीलदार, बैर	बैर
		(xi)	नायब तहसीलदार, सीकरी	सीकरी
		(xii)	नायब तहसीलदार, उच्चैन	उच्चैन
		(xiii)	नायब तहसीलदार, भुसावर	भुसावर
7.	भीलवाड़ा	(i)	उप-रजिस्ट्रार, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
		(ii)	अतिरिक्त तहसीलदार, बदनौर	बदनौर
		(iii)	तहसीलदार, बनेड़ा	बनेड़ा
		(iv)	तहसीलदार, आसीन्द	आसीन्द
		(v)	तहसीलदार, बिजौलिया	बिजौलिया
		(vi)	नायब तहसीलदार, हमीरगढ़	हमीरगढ़
		(vii)	तहसीलदार, हुरड़ा	हुरड़ा
		(viii)	तहसीलदार, जहाजपुर	जहाजपुर
		(ix)	अतिरिक्त तहसीलदार, करेड़ा	करेड़ा
		(x)	तहसीलदार, कोटडी	कोटडी
		(xi)	तहसीलदार, माण्डल	माण्डल
		(xii)	तहसीलदार, माण्डलगढ़	माण्डलगढ़
		(xiii)	नायब तहसीलदार, फुलियाकलां	फुलियाकलां
		(xiv)	तहसीलदार, रायपुर	रायपुर
		(xv)	तहसीलदार, सहाड़ा	सहाड़ा
		(xvi)	तहसीलदार, शाहपुरा	शाहपुरा
8.	बीकानेर	(i)	उप-रजिस्ट्रार, बीकानेर-प्रथम	बीकानेर
		(ii)	उप-रजिस्ट्रार, बीकानेर-द्वितीय	
		(iii)	नायब तहसीलदार, बज्जू	बज्जू
		(iv)	तहसीलदार, छतरगढ़	छतरगढ़
		(v)	तहसीलदार, डूंगरगढ़	डूंगरगढ़
		(vi)	तहसीलदार, कोलायत	कोलायत
		(vii)	तहसीलदार, खाजूवाला	खाजूवाला
		(viii)	तहसीलदार, लूणकरणसर	लूणकरणसर
		(ix)	उप-रजिस्ट्रार, नोखा	नौखा
		(x)	तहसीलदार, पूंगल	पूंगल
9.	बून्दी	(i)	उप-रजिस्ट्रार, बून्दी	बून्दी
		(ii)	तहसीलदार, नैनवा	नैनवा
		(iii)	तहसीलदार, हिण्डौली	हिण्डोली
		(iv)	नायब तहसीलदार, तालेड़ा	तालेड़ा
		(v)	तहसीलदार, केशोरायपाटन	केशोरायपाटन
		(vi)	तहसीलदार, इन्द्रगढ़	इन्द्रगढ़
		(vii)	नायब तहसीलदार, देई	देई
10.	चित्तौड़गढ़	(i)	उप-रजिस्ट्रार, चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
		(ii)	तहसीलदार, बड़ीसादडी	बडी सादडी
		(iii)	तहसीलदार, बेगू	बेगू
		(iv)	तहसीलदार, भैंसरोडगढ़ (रावतभाटा)	भैंसरोड़गढ़

				(रावतभाटा)
		(v)	नायब तहसीलदार, भूपालसागर	भूपालसागर
		(vi)	तहसीलदार, अरनोद	अरनोद
		(vii)	तहसीलदार, डूंगला	डूंगला
		(viii)	तहसीलदार, गंगरार	गंगरार
		(ix)	तहसीलदार, कपासन	कपासन
		(x)	उप-रजिस्ट्रार, निम्बाहेड़ा	निम्बाहेड़ा
		(xi)	नायब तहसीलदार, पारसोली	पारसोली
		(xii)	तहसीलदार, राशमी	राशमी
		(xiii)	तहसीलदार, भदेसर	भदेसर
		(xiv)	नायब तहसीलदार, भादसोड़ा	भादसोड़ा
11.	चूरू	(i)	उप-रजिस्ट्रार, चूरू	चूरू
		(ii)	नायब तहसीलदार भानीपुरा	भानीपुरा
		(iii)	अतिरिक्त तहसीलदार, बीदासर	बीदासर
		(iv)	तहसीलदार, राजगढ़	राजगढ़
		(v)	तहसीलदार, रतनगढ़	रतनगढ़
		(vi)	तहसीलदार, सरदारशहर	सरदार शहर
		(vii)	तहसीलदार, सुजानगढ़	सुजानगढ़
		(viii)	नायब तहसीलदार, सिद्धमुख	सिद्धमुख
		(ix)	तहसीलदार, तारानगर	तारानगर
12.	दौसा	(i)	उप-रजिस्ट्रार, दौसा	दौसा
		(ii)	तहसीलदार, सिकराय	सिकराय
		(iii)	तहसीलदार, लालसोट	लालसोट
		(iv)	तहसीलदार, महुवा	महुवा
		(v)	तहसीलदार, बसवा	बसवा
		(vi)	नायब तहसीलदार, लवाण	लवाण
13.	धौलपुर	(i)	उप-रजिस्ट्रार, धौलपुर	धौलपुर
		(ii)	तहसीलदार, राजाखेड़ा	राजाखेड़ा
		(iii)	नायब तहसीलदार, मनियां	मनियां
		(iv)	तहसीलदार, सेपऊ	सैपऊ
		(v)	तहसीलदार, बाड़ी	बाड़ी
		(vi)	तहसीलदार, बसेडी	बसेड़ी
		(vii)	अतिरिक्त तहसीलदार, सरमथुरा	सरमथुरा
		(viii)	नायब तहसीलदार, कंचनपुर	कंचनपुर
14.	डूंगरपुर	(i)	उप-रजिस्ट्रार, डूंगरपुर	डूंगरपुर
		(ii)	तहसीलदार, आसपुर	आसपुर
		(iii)	तहसीलदार, सागवाड़ा	सागवाड़ा
		(iv)	तहसीलदार, सिमलवाडा	सिमलवाड़ा
		(v)	नायब तहसीलदार, गलियाकोट	गलियाकोट
		(vi)	नायब तहसीलदार, चीखली	चीखली
15.	हनुमानगढ़	(i)	उप-रजिस्ट्रार, हनुमानगढ़	हनुमानगढ़
		(ii)	तहसीलदार, पीलीबंगा	पीलीबंगा
		(iii)	तहसीलदार, संगरिया	संगरिया
		(iv)	तहसीलदार, टिब्बी	टिब्बी
		(v)	तहसीलदार, रावतसर	रावतसर
		(vi)	उप-रजिस्ट्रार, नोहर	नोहर
		(vii)	तहसीलदार, भादरा	भादरा
		(viii)	नायब तहसीलदार, छानी बडी	छानी बड़ी
		(ix)	नायब तहसीलदार, पल्लू	पल्लू
		(x)	नायब तहसीलदार, डबलीराठान	डबलीराठान

16.	जयपुर	(i)	उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-प्रथम	जयपुर
		(ii)	उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-द्वितीय	
		(iii)	उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-तृतीय	
		(iv)	उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-चतुर्थ	
		(v)	उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-पंचम	
		(vi)	उप-रजिस्ट्रार, जयपुर- षष्ठम	
		(vii)	उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-सप्तम	
		(viii)	उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-अष्ठम	
		(ix)	उप-रजिस्ट्रार, सांगानेर-प्रथम	
		(x)	उप-रजिस्ट्रार, सांगानेर-द्वितीय	
		(xi)	उप-रजिस्ट्रार, आमेर	
		(xii)	तहसीलदार, विराटनगर	विराटनगर
		(xiii)	उप-रजिस्ट्रार, बस्सी	बस्सी
		(xiv)	तहसीलदार, चाकसू	चाकसू
		(xv)	उप-रजिस्ट्रार, चौंमू	चौंमू
		(xvi)	तहसीलदार, मोजमाबाद	मोजमाबाद
		(xvii)	तहसीलदार, जमवारामगढ़	जमवारामगढ़
		(xviii)	नायब तहसीलदार, किशनगढ रेनवाल	किशनगढ़ रेनवाल
		(xix)	नायब तहसीलदार, कोटखावदा	कोटखावदा
		(xx)	उप-रजिस्ट्रार, कोटपूतली	कोटपूतली
		(xxi)	तहसीलदार, फागी	फागी
		(xxii)	तहसीलदार, सांभर	सांभर
		(xxiii)	तहसीलदार, शाहपुरा	शाहपुरा
		(xxiv)	नायब तहसीलदार, माधोराजपुरा	माधोराजपुरा
		(xxv)	नायब तहसीलदार, दूदू	दूदू
17.	जैसलमेर	(i)	उप-रजिस्ट्रार, जैसलमेर	जैसलमेर
		(ii)	उप-रजिस्ट्रार, पोकरण	पोकरण
		(iii)	तहसीलदार, फतेहगढ़	फतेहगढ़
18.	जालौर	(i)	उप-रजिस्ट्रार, जालौर	जालौर
		(ii)	नायब तहसीलदार, चितलवाना	चितलवाना
		(iii)	नायब तहसीलदार, भादराजून	भादराजून
		(iv)	उप रजिट्रार, भीनमाल	भीनमाल
		(v)	तहसीलदार, आहोर	आहोर
		(vi)	तहसीलदार, रानीवाडा	रानीवाड़ा
		(vii)	उप-रजिस्ट्रार, सांचौर	साँचौर
		(viii)	तहसीलदार, सायला	सायला
		(ix)	तहसीलदार, बगौडा	बागौड़ा
19.	झालावाड़	(i)	उप-रजिस्ट्रार, झालावाड़	झालावाड़
		(ii)	नायब तहसीलदार, असनावर	असनावर
		(iii)	तहसीलदार, अकलेरा	अकलेरा
		(iv)	तहसीलदार, पचपहाड़	पचपहाड़
		(v)	तहसीलदार, खानपुर	खानपुर
		(vi)	तहसीलदार, पिडावा	पिड़ावा
		(vii)	नायब तहसीलदार, सुनैल	सुनैल
		(viii)	तहसीलदार, गंगधार	गंगधार
		(ix)	तहसीलदार, मनोहरथाना	मनोहरथाना
		(x)	नायब तहसीलदार, बकानी	बकानी
		(xi)	नायब तहसीलदार, डग	डग
20.	झुन्झुनू	(i)	उप-रजिस्ट्रार, झुन्झुनू	झुन्झुनू

		(ii)	तहसीलदार, चिडावा	चिड़ावा
		(iii)	तहसीलदार, बुहाना	बुहाना
		(iv)	तहसीलदार, खेतडी	खेतड़ी
		(v)	नायब तहसीलदार, मलसीसर	मलसीसर
		(vi)	उप-रजिस्ट्रार, नवलगढ़	नवलगढ़
		(vii)	उप-रजिस्ट्रार, सूरजगढ़	सूरजगढ़
		(viii)	तहसीलदार, उदयपुरवाटी	उदयपुरवाटी
21.	जोधपुर	(i)	उप-रजिस्ट्रार, जोधपुर-प्रथम	जोधपुर
		(ii)	उप-रजिस्ट्रार,जोधपुर-द्वितीय	
		(iii)	उप-रजिस्ट्रार,जोधपुर-तृतीय	
		(iv)	उप-रजिस्ट्रार, जोधपुर-चतुर्थ	
		(v)	तहसीलदार, बिलाडा	बिलाड़ा
		(vi)	नायब तहसीलदार, बालेसर	बालेसर
		(vii)	तहसीलदार, भोपालगढ़	भोपालगढ़
		(viii)	तहसीलदार, ओसिया	ओसियां
		(ix)	उप-रजिस्ट्रार, फलौदी	फलौदी
		(x)	तहसीलदार, शेरगढ़	शेरगढ़
		(xi)	तहसीलदार, लूणी	लूणी
		(xii)	नायब तहसीलदार, बाप	बाप
		(xiii)	उप-रजिस्ट्रार, तिंवरी	तिंवरी
		(xiv)	नायब तहसीलदार, झंवर	झंवर
22.	करौली	(i)	उप-रजिस्ट्रार, करौली	करौली
		(ii)	उप-रजिस्ट्रार, हिण्डोन	हिण्डोन
		(iii)	तहसीलदार, टोडाभीम	टोडाभीम
		(iv)	तहसीलदार, नादौती	नादोती
		(v)	तहसीलदार, सपोटरा	सपोटरा
		(vi)	नायब तहसीलदार, करणपुर	करणपुर
		(vii)	तहसीलदार, मण्डरायल	मण्डरायल
		(viii)	नायब तहसीलदार, मासलपुर	मासलपुर
23.	कोटा	(i)	उप-रजिस्ट्रार, कोटा-प्रथम	लाडपुरा (कोटा)
		(ii)	उप-रजिस्ट्रार, कोटा-द्वितीय	
		(iii)	तहसीलदार, रामगंजमण्डी	रामगंजमण्डी
		(iv)	तहसीलदार, सांगोद	सांगोद
		(v)	तहसीलदार, दीगोद	दीगोद
		(vi)	तहसीलदार, पीपलदा	पीपलदा
		(vii)	नायब तहसीलदार, मण्डाना	मण्डाना
		(viii)	नायब तहसीलदार, चेचट	चेचट
		(ix)	नायब तहसीलदार, कनवास	कनवास
24.	नागौर	(i)	उप-रजिस्ट्रार, नागौर	नागौर
		(ii)	तहसीलदार, डेगाना	डेगाना
		(iii)	तहसीलदार, जायल	जायल
		(iv)	तहसीलदार, खींवसर	खींवसर
		(v)	उप-रजिस्ट्रार, कुचामनसिटी	कुचामनसिटी
		(vi)	तहसीलदार, लाडनू	लाडनू
		(vii)	तहसीलदार, मकराना	मकराना
		(viii)	उप-रजिस्ट्रार, मेडतासिटी	मेड़तासिटी
		(ix)	तहसीलदार, डीडवाना	डीडवाना
		(x)	तहसीलदार, नावां	नावां
		(xi)	तहसीलदार, परबतसर	परबतसर
		(xii)	नायब तहसीलदार, पीलवा	पीलवा

		(xiii)	तहसीलदार, रियां बडी	रियां बडी
		(xiv)	नायब तहसीलदार, सांजू	साँजू
		(xv)	नायब तहसीलदार, मौलासर	मौलासर
		(xvi)	नायब तहसीलदार, भैंरून्दा	भैरून्दा
		(xvii)	नायब तहसीलदार, डेह	डेह
25.	पाली	(i)	उप-रजिस्ट्रार, पाली	पाली
		(ii)	उप-रजिस्ट्रार, देसूरी	देसूरी
		(iii)	तहसीलदार, जैतारण	जैतारण
		(iv)	तहसीलदार, मारवाड़ जं. (खारची)	मारवाड़ ज. (खारची)
		(v)	उप-रजिस्ट्रार, बाली	बाली
		(vi)	तहसीलदार, रायपुर	रायपुर
		(vii)	तहसीलदार, रोहिट	रोहिट
		(viii)	उप-रजिस्ट्रार, सुमेरपुर	सुमेरपुर
		(ix)	उप-रजिस्ट्रार, सोजत	सोजत
26.	प्रतापगढ़	(i)	उप-रजिस्ट्रार, प्रतापगढ़	प्रतापगढ़
		(ii)	तहसीलदार, छोटी सादडी	छोटी सादडी
		(iii)	नायब तहसीलदार, देवगढ़	देवगढ़
		(iv)	तहसीलदार, धारियाबाद	धारियाबाद
		(v)	तहसीलदार, पीपलखूंट	पीपलखूंट
27.	राजसमन्द	(i)	उप-रजिस्ट्रार, राजसमन्द	राजसमन्द
		(ii)	तहसीलदार, भीम	भीम
		(iii)	तहसीलदार, देवगढ़	देवगढ़
		(iv)	नायब तहसीलदार, गढबौर	गढ़बोर
		(v)	तहसीलदार, कुम्भलगढ़	कुम्भलगढ़
		(vi)	नायब तहसीलदार, कुंवारिया	कुंवारिया
		(vii)	उप-रजिस्ट्रार, नाथद्वारा	नाथद्वारा
		(viii)	तहसीलदार, आमेट	आमेट
		(ix)	तहसीलदार, रेलमगरा	रेलमगरा
		(x)	नायब तहसीलदार, सरदारगढ़	सरदारगढ़
		(xi)	नायब तहसीलदार, खमनौर	खमनोर
28.	सवाई माधोपुर	(i)	उप-रजिस्ट्रार, सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर
		(ii)	तहसीलदार, बोली	बोली
		(iii)	तहसीलदार, चौथ का बरवाडा	चौथ का बरवाड़ा
		(iv)	तहसीलदार, गंगापुर सिटी	गंगापुर सिटी
		(v)	तहसीलदार, खण्डार	खण्डार
		(vi)	तहसीलदार, मलारना डूंगर	मलारना डूंगर
		(vii)	तहसीलदार, बामनवास	बामनवास
		(viii)	नायब तहसीलदार, बरनाला	बरनाला
		(ix)	नायब तहसीलदार, वजीरपुर	वजीरपुर
		(x)	नायब तहसीलदार, बहरावन्डा कलां	बहरावन्डा कलां
29.	श्रीगंगानगर	(i)	उप-रजिस्ट्रार, श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
		(ii)	उप-रजिस्ट्रार, अनूपगढ	अनूपगढ़
		(iii)	नायब तहसीलदार, बींझबायला	बींझबायला
		(iv)	उप-रजिस्ट्रार, सूरतगढ	सूरतगढ़
		(v)	तहसीलदार, सादुलशहर	सादुलशहर
		(vi)	तहसीलदार, श्री करणपुर	श्री करणपुर
		(vii)	नायब तहसीलदार, गजसिंहपुर	गजसिंहपुर
		(viii)	तहसीलदार, घडसाना	घडसाना
		(ix)	नायब तहसीलदार, चुनावड	चुनावड़

		(x)	तहसीलदार, रायसिंह नगर	रायसिंह नगर
		(xi)	नायब तहसीलदार, केसरीसिंहपुर	केसरीसिंहपुर
		(xii)	तहसीलदार, पदमपुर	पदमपुर
		(xiii)	नायब तहसीलदार, मुकलावा	मुकलावा
		(xiv)	नायब तहसीलदार, हिन्दूमलकोट	हिन्दूमलकोट
		(xv)	उप-रजिस्ट्रार, श्रीबिजयनगर	श्रीबिजयनगर
30.	सीकर	(i)	उप-रजिस्ट्रार, सीकर	सीकर
		(ii)	तहसीलदार, फतेहपुर	फतेहपुर
		(iii)	तहसीलदार, लक्ष्मणगढ	लक्ष्मणगढ़
		(iv)	नायब तहसीलदार, खण्डेला	खण्डेला
		(v)	नायब तहसीलदार, पलसाना	पलसाना
		(vi)	उप-रजिस्ट्रार, नीम का थाना	नीम का थाना
		(vii)	अतिरिक्त तहसीलदार, रामगढ़ शेखावाटी	रामगढ़ शेखावाटी
		(viii)	उप-रजिस्ट्रार, दांतारामगढ़	दांतारामगढ़
		(ix)	तहसीलदार, श्रीमाधोपुर	श्रीमाधोपुर
31.	सिरोही	(i)	उप-रजिस्ट्रार, सिरोही	सिरोही
		(ii)	नायब तहसीलदार, भांवरी	भांवरी
		(iii)	तहसीलदार, पिण्डवाडा	पिण्डवाड़ा
		(iv)	तहसीलदार, रेवदर	रेवदर
		(v)	उप-रजिस्ट्रार, आबूरोड	आबूरोड़
		(vi)	उप-रजिस्ट्रार, शिवगंज	शिवगंज
		(vii)	नायब तहसीलदार, कालिन्द्री	कालिन्द्री
		(viii)	नायब तहसीलदार, मण्डार	मण्डार
32.	टोंक	(i)	उप-रजिस्ट्रार, टोंक	टोंक
		(ii)	तहसीलदार, मालपुरा	मालपुरा
		(iii)	नायब तहसीलदार,नगर फोर्ट	नगर फोर्ट
		(iv)	उप-रजिस्ट्रार, निवाई	निवाई
		(v)	तहसीलदार, टोडारायसिंह	टोडारायसिंह
		(vi)	तहसीलदार, देवली	देवली
		(vii)	तहसीलदार, उनियारा	उनियारा
		(viii)	तहसीलदार, पीपलू	पीपलू
		(ix)	नायब तहसीलदार, बनेठा	बनेठा
		(x)	नायब तहसीलदार, दूनी	दूनी
33.	उदयपुर	(i)	उप-रजिस्ट्रार, उदयपुर-प्रथम	उदयपुर
		(ii)	उप-रजिस्ट्रार, उदयपुर- द्वितीय	
		(iii)	नायब तहसीलदार, बारापाल	बारापाल
		(iv)	नायब तहसीलदार, भिण्डर	भिण्डर
		(v)	तहसीलदार, गोगुन्दा	गोगुन्दा
		(vi)	तहसीलदार, कोटडा	कोटड़ा
		(vii)	नायब तहसीलदार, कानोड	कानोड़
		(viii)	तहसीलदार, खेरवाडा	खेरवाडा
		(ix)	नायब तहसीलदार, कुरावड	कुरावड़
		(x)	नायब तहसीलदार, लसाडिया	लसाडिया
		(xi)	उप-रजिस्ट्रार, मावली	मावली
		(xii)	तहसीलदार, झाडोल	झाडोल
		(xiii)	तहसीलदार, सलूम्बर	सलूम्बर
		(xiv)	तहसीलदार, सराडा	सराड़ा
		(xv)	तहसीलदार, बल्लभनगर	बल्लभनगर
		(xvi)	नायब तहसीलदार, सनवाड	सनवाड़

		(xvii)	तहसीलदार, रिषभदेव	रिषभदेव

[एफ.12(15)वित्त/कर/12-98]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. रविकुमार एस.,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 26 मार्च, 2012

एस.ओ.188.- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.2(47)एफडी/टैक्स/09-04 दिनांक 09.4.10 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में शीर्ष आर्टिकल-I के अधीन विद्यमान क्रम संख्यांक 2 और उनकी प्रविष्टियां निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

''2.	भाई या बहिन (त्यजक के माता-पिता के बच्चे) या पुत्र या पुत्री या पूर्वमृत पुत्र का पुत्र या पूर्वमृत पुत्र की पुत्री या त्यजक के पिता या माता या पति या पत्नी या उपर्युक्त नातेदारों के विधिक वारिसों के द्वारा या उनके पक्ष में पैतृक संपत्ति या उसके भाग की निर्मुक्ति	अधिकतम 500/- रुपये के अध्यधीन एक प्रतिशत

स्पष्टीकरण- I जब दस्तावेज की विषयवस्तु मूल्यांकन योग्य है तो मूल्य रजिस्ट्रीकरण के पूर्व अभिव्यक्त किया जाना चाहिए।
स्पष्टीकरण- II पांच वर्ष से अन्यून की किसी कालावधि के लिए पट्टे की दशा के सिवाय मूल्य या प्रतिफल संपत्ति के बाजार मूल्य के बराबर समझा जायेगा।
स्पष्टीकरण- III पट्टे की लिखत की दशा में रजिस्ट्रीकरण फीस उस रकम पर संगणित की जायेगी जिस पर स्टाम्प शुल्क संदेय है।''

[एफ.12(15)वित्त/कर/12-99]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. रविकुमार एस.,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 26 मार्च, 2012

एस.ओ.189.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस

विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(20)एफ.डी./ टैक्स/2005-216, दिनांक 24.03.2005 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 394 के अधीन उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा कम्पनियों के या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44-क के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश द्वारा बैंककारी कम्पनियों के समामेलन या पुनर्गठन से संबंधित हस्तांतरण-विलेख पर उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची के अनुच्छेद 21 के खण्ड (iii) के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जायेगा।

[एफ.12(15)वित्त/कर/12-100]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. रविकुमार एस.,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 26 मार्च, 2012

एस.ओ.190.- राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1999 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2012 से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 8 का प्रतिस्थापन.-** राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1999, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के विद्यमान नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

''**8. कर का संदाय.-** (1) जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा अधिसूचित न किया जाये कर, मांग या अन्य राशि का संदाय, विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक रूप से, राज्य सरकार की ओर से धन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत बैंक में किया जायेगा। प्राधिकृत बैंक कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से प्ररुप प्र.क. स्था.क्षे.-22 में ई-चालान जनित करेंगे। प्राधिकृत बैंक उसी दिन ऐसे ई-चालान के विवरण को राज्य के संबंधित खजाने को प्ररुप प्र.क.स्था.क्षे.-25 में अग्रेषित भी करेंगे और ऐसे विवरण की एक प्रति महालेखाकार, राजस्थान को अग्रेषित की जायेगी। संदाय की तारीख वह तारीख समझी जायेगी जिसको प्ररुप प्र.क.स्था.क्षे.-22 में ई-चालान जनित किया जाता है।

(2) राज्य सरकार द्वारा यथा-अधिसूचित व्यवहारियों का वर्ग कर, मांग या अन्य राशि का संदाय, प्ररुप प्र.क.स्था.क्षे.-21 में चालान के माध्यम से या सम्बन्धित निर्धारण प्राधिकारी या किसी प्राधिकृत अधिकारी के पक्ष में राजस्थान में स्थित किसी बैंक की किसी भी शाखा पर लिखे गये किसी मांगदेय ड्राफ्ट के माध्यम

से, सरकारी खजाने में या राज्य सरकार की ओर से धन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत बैंक में करेगा। संदाय की तारीख वह तारीख समझी जायेगी जिसको राज्य सरकार के खाते में नकद या मांगदेय ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/चैक भुनाकर निक्षिप्त कराया जाता है।

(3) उप-नियम (2) के अधीन कर, मांग या अन्य राशि के निक्षेप पर बैंक चालान के भाग 4 और भाग 5 को उन पर अपनी मुहर लगाने के पश्चात् रकम निक्षिप्त कराने वाले व्यक्ति को लौटा देगा और ऐसे चालान का भाग 3 बैंक द्वारा खजाना या प्राधिकृत अधिकारी को भेजा जायेगा। चालान का भाग 1 और भाग 2 ऐसे बैंक द्वारा खजाने को भेजा जायेगा, और ऐसा खजाना चालान के भाग 1 को अपने पास रखेगा और भाग 2 को महालेखाकार, राजस्थान को अग्रेषित करेगा। संदाय करने वाला व्यक्ति चालान का भाग 5 अपने पास रखेगा और उसके भाग 4 को संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन, विवरणी, और अपील के ज्ञापन या अन्य दस्तावेज के साथ संलग्न करेगा।

3. **नियम 9 का प्रतिस्थापन.**- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''9. **विवरणियां.**- (1) प्रत्येक व्यवहारी प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.-3 में तिमाही विवरणी और प्र.क.स्था.क्षे.-5 में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रत्येक व्यवहारी, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा अधिसूचित न किया जाये, विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक रूप से विवरणी प्रस्तुत करेगा। विवरणी व्यवहारी द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित की जायेगी और यदि इसे डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित नहीं किया जाता है तो व्यवहारी, विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से जनित अभिस्वीकृति देगा और ऐसी विवरणी (विवरणियाँ) फाइल करने की अंतिम तारीख के पन्द्रह दिन के भीतर-भीतर इस पर अपने हस्ताक्षर करके उसके द्वारा सत्यापित की जायेगी, ऐसा करने में विफल होने पर विवरणी (विवरणियाँ) फाइल नहीं करने का मामला समझा जायेगा।

(3) जहां कर या ब्याज, यदि कोई हो, की रकम इलेक्ट्रोनिक रुप से संदत्त नहीं की जाती है वहाँ व्यवहारी ऐसी विवरणी(यों) के फाइल करने की अंतिम तारीख के पन्द्रह दिन के भीतर-भीतर निर्धारण प्राधिकारी को निक्षेप के सबूत के रूप में प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.-21 में चालान की प्रति देगा।

(4) प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.-3 में विवरणी समस्त व्यवहारियों द्वारा तिमाही की समाप्ति के पैंतालीस दिन के भीतर-भीतर प्रस्तुत की जायेगी।

स्पष्टीकरणः 'तिमाही' से 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली तीन मास की कालावधि अभिप्रेत है।

(5) प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.-5 में वार्षिक विवरणी समस्त व्यवहारियों द्वारा सुसंगत वर्ष की समाप्ति से दस मास के भीतर-भीतर प्रस्तुत की जायेगी, और इसके साथ निम्नलिखित संलग्न होगाः-

(क) स्थानीय क्षेत्र के बाहर से क्रय या प्राप्त किये गये माल के मूल्य को विनिर्दिष्ट करने वाला विवरण;

(ख) स्थानीय क्षेत्र के भीतर क्रय या प्राप्त किये गये माल के मूल्य को विनिर्दिष्ट करने वाला विवरण;

(ग) स्थानीय क्षेत्र के बाहर से क्रय या प्राप्त किये गये किन्तु प्रदायकर्ता को लौटाये गये माल के मूल्य को विनिर्दिष्ट करने वाला विवरण;

(घ) स्थानीय क्षेत्र के बाहर से क्रय या प्राप्त किये गये किन्तु विक्रय की रीति से अन्यथा स्थानीय क्षेत्र से बाहर भेजे गये माल के मूल्य को विनिर्दिष्ट करने वाला विवरण;

(ङ) ऐसे माल, जिसके संबंध में कर का दायी नहीं होने का दावा किया जाता है, के क्रय या प्राप्ति की सही और पूर्ण विशिष्टियाँ विनिर्दिष्ट करने वाला विवरण; और

(च) अधिनियम के अधीन कर के संदाय से संबंधित सबूत।

(6) जहां किसी व्यवहारी के राज्य में एक से अधिक कारबार के स्थान हैं, वहां वह कारबार के मुख्य स्थान के पण्यावर्त के साथ-साथ कारबार के सभी अन्य स्थानों के पण्यावर्त को विवरणी में सम्मिलित करेगा।

(7) जहां किसी व्यवहारी को अपने द्वारा प्रस्तुत प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.-3 या प्र. क.स्था.क्षे.-5 में किसी भी लोप या गलती का पता चलता है वहां वह वार्षिक विवरणी फाइल करने की नियत तारीख के पूर्व किसी भी समय या धारा 12 की उप-धारा (3) के अधीन नोटिस प्राप्त होने पर, इनमें से जो भी पहले हो, पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा।

(8) उपर्युक्त उप-नियम (1) से (6) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 01.04.2012 के पूर्व की कालावधि के लिए विवरणी (विवरणियां), उस रीति से और ऐसे प्ररूप में, जो उस कालावधि के लिये प्रवृत्त था, प्रस्तुत की जा सकेगी।''

4. **नियम 10 का प्रतिस्थापन.-** उक्त नियमों के विद्यमान नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''10. **सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना और कारण अभिलिखित किया जाना.-** जहां कोई निर्धारण प्राधिकारी किसी व्यवहारी द्वारा स्वीकृत कर दायित्व में वृद्धि करता है या अधिनियम या नियमों के उपबंधों के अधीन उस पर या किसी भी अन्य व्यक्ति पर शास्ति अधिरोपित करता है या उनके हित के लिए हानिकर कोई आदेश पारित करता है तो उक्त प्राधिकारी उसके कारण अभिलिखित करेगा और ऐसा कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि व्यवहारी या व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो।''

5. **नियम 11 का प्रतिस्थापन.-** उक्त नियमों के विद्यमान नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

''11. **नोटिस का प्ररूप.-** नियम 10 के अधीन सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए या अधिनियम या नियमों के किन्हीं भी उपबंधों के अधीन कोई कार्रवाई आरंभ करने के लिए या किसी दस्तावेज के प्रस्तुत किये जाने के लिए या कोई सूचना देने के लिए या किसी व्यक्ति की उपसंजाति के लिए नोटिस प्ररूप प्र.क. स्था.क्षे.-4 में जारी किया जायेगा।''

6. **नियम 11क और 11ख का अन्तःस्थापन.-** उक्त नियमों के इस प्रकार प्रतिस्थापित किये गये नियम 11 के पश्चात् और विद्यमान नियम 12 के पूर्व, निम्नलिखित नये नियम 11क और 11ख अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :-

''11क. **मांग के संदाय के लिए नोटिस.-** जैसे ही अधिनियम या नियमों के अधीन कोई मांग सृजित करते हुए कोई निर्धारण पूरा कर लिया जाता है या कोई अन्य आदेश पारित कर दिया जाता है वैसे ही निर्धारण प्राधिकारी व्यवहारी या व्यक्ति पर एक मांग नोटिस, उससे ऐसी तामील के तीस दिन के भीतर मांग का संदाय करने की अपेक्षा करते हुए ऐसे आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्ररूप प्र.क. स्था.क्षे.-6 में तामील करेगा। तथापि, जहां निर्धारण प्राधिकारी की यह राय है कि

राज्य के राजस्व हित का संरक्षण करने के प्रयोजन के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है वहां कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्, तीस दिन की कालावधि कम कर सकेगा, जो वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे।

11ख. **प्रतिदाय.-** जहां निर्धारण प्राधिकारी का ऐसी रकम के निक्षेप के तथ्यों को सत्यापित करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि किये गये किसी निर्धारण के परिणामस्वरूप या किसी सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में, किसी व्यवहारी या किसी व्यक्ति द्वारा किया गया संदाय किसी भी कर, शास्ति, ब्याज या अन्य देय राशि से अधिक है तो ऐसा निर्धारण प्राधिकारी,या तो स्वप्रेरणा से या, यथास्थिति, इस निमित्त किये गये किसी आवेदन पर, ऐसे निर्धारण या ऐसे आदेश की प्राप्ति या प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.-23 में पूर्ण आवेदन की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर प्रतिदाय का आदेश पारित करेगाः

परन्तु व्यवहारी को प्रतिदेय अधिक कर, अधिनियम के अधीन उसके द्वारा संदेय किसी अन्य रकम के प्रति समायोजित किया जा सकेगा, और इस प्रयोजन के लिए प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.-24 में प्रतिदाय समायोजन आदेश जारी किया जायेगा।''

7. **नियम 32 का हटाया जाना.-** उक्त नियमों का विद्यमान नियम 32 हटाया जायेगा।

8. **प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.-3 का प्रतिस्थापन.-** उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.-3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

''प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.-3
[नियम 9 देखिए]
तिमाही विवरणी

विवरणी कालावधि ..... से ..... तक

1	**सामान्य जानकारी**			
1.1	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र सं.			
1.2	व्यवहारी का नाम और ई-मेल सहित पूरा पता			
1.3	दूरभाष/मोबाइल/फैक्स संख्या			
1.4	पेन			
1.5	व्यवहारी की हैसियत			
2.	विशिष्टियां			
2.1	अधिनियम के अधीन कराधेय माल का मूल्य			
	माल का नाम		**मूल्य**	**कर**
	(क)			
	(ख)			
	(ग)			
	(घ)			
	कुल			
2.2	..... तिमाही के लिए संदेय कर			
	(क)	..... मास	कर की रकम	
	(ख)	..... मास	कर की रकम	
	(ग)	..... मास	कर की रकम	
			कुल कर रु0	.....

2.3	संदाय का ब्यौरा					
क्र.सं.	कर की रकम	निक्षेप की नियत तारीख	निक्षेप की तारीख	विलम्ब की कालावधि, यदि कोई हो	संदेय ब्याज	ब्याज के निक्षेप की तारीख
3.	अन्य कोई जानकारी जो व्यवहारी वर्णित करना चाहता हैः					
4.	संलग्नक :					
	1.	प्र.क.स्था.क्षे.-21 चालान का भाग 4 (ई. संदाय न किये जाने की दशा में)				
	2.	.....				
	3.	.....				
	4.	.....				
	5.	.....				

घोषणा

मैं/हम सत्यापित करते हैं कि उक्त जानकारी और उसके संलग्नक मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास के आधार पर सत्य और सही हैं।

स्थानः (हस्ताक्षर)
तारीखः नाम
हैसियत

अभिस्वीकृति

पहचान सं. तारीख

1.	रजिस्ट्रीकरण सं.	
2.	व्यवहारी का पूरा नाम	
3.	कराधेय क्रय	
4.	रा.प्र.क.स्था.क्षे. अधिनियम के अधीन संदेय कुल कर	
5.	संदेय ब्याज	
6.	संदेय कुल रकम	
7.	निक्षिप्त रकम	
8.	अतिशेष/अधिक संदत्त, यदि कोई हो	

''

9. प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.-4 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.-4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.-4
[नियम 11 देखिए]
नोटिस

1.	व्यवहारी/व्यक्ति का नाम	
2.	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सं.	
3.	व्यवहारी/व्यक्ति का नाम और पूरा पता	
4.	व्यवहारी/व्यक्ति का ई-मेल पता	

5. आपको निम्नलिखित प्रस्तुत करने के लिए निदिष्ट किया जाता हैः–
(क) प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.–3/ प्र.क.स्था.क्षे.–5 में ..... की कालावधि से संबंधित विवरणी;
(ख) स्थानीय क्षेत्र के बाहर से क्रय या प्राप्त किये गये माल के मूल्य को विनिर्दिष्ट करने वाला विवरण;
(ग) स्थानीय क्षेत्र के भीतर क्रय या प्राप्त किये गये माल के मूल्य को विनिर्दिष्ट करने वाला विवरण;
(घ) स्थानीय क्षेत्र के बाहर से क्रय या प्राप्त किये गये किन्तु प्रदायकर्ता को लौटाये गये माल के मूल्य को विनिर्दिष्ट करने वाला विवरण;
(ङ) स्थानीय क्षेत्र के बाहर से क्रय या प्राप्त किये गये किन्तु विक्रय की रीति से अन्यथा स्थानीय क्षेत्र से बाहर भेजे गये माल के मूल्य को विनिर्दिष्ट करने वाला विवरण;
(च) ऐसे माल, जिसके संबंध में कर का दायी नहीं होने का दावा किया जाता है, के क्रय या प्राप्ति की सही और पूर्ण विशिष्टियाँ विनिर्दिष्ट करने वाला विवरण; और
(छ) अधिनियम के अधीन कर के संदाय से संबंधित सबूत।
(ज) .....
(झ) ..... और
इसी प्रकार आगे भी।
ताकि ..... को या उसके पूर्व अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में पहुंच जाये।

6. यतः ..... (संक्षेप में विषयवस्तु का उल्लेख करें) के संबंध में अधिनियम के अधीन साक्ष्य देने के लिए आपकी वैयक्तिक हाजरी अपेक्षित है, आपको ..... को ..... बजे अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में स्वयं हाजिर होने और जब तक कि मेरे द्वारा अनुज्ञात न कर दिया जाये प्रस्थान नहीं करने के लिए इसके द्वारा समन किया जाता है।
यह सूचना दी जाती है कि बिना पर्याप्त कारण के ऊपर अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज देने या हाजिर होने में विफल रहने पर आप राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 की धारा 35 के अधीन शास्ति के दायी होंगे।
..... मास, 20..... के दिन ..... मेरे हस्ताक्षर और मुहर से दिया गया।

हस्ताक्षर .....
नाम .....
पदनाम .....
स्थान .....
''

10. प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.–5 का प्रतिस्थापन.– उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.–5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.–5
[नियम 9 देखिए]
वार्षिक विवरणी
वित्तीय वर्ष की कालावधि ..... से ..... तक

1.	सामान्य जानकारी	
1.1	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सं.	

1.2	व्यवहारी का नाम और पूरा पता					
1.3	फोन नंबर/मोबाइल नंबर					
1.4	व्यवहारी का ई-मेल पता					
1.5	पेन					
1.6	निर्धारिती की हैसियत					
1.7	संधारित लेखा पुस्तकों की सूची (कम्प्यूटर प्रणाली से संधारित लेखा पुस्तकों की दशा में ऐसी प्रणाली द्वारा जनित लेखा पुस्तकों का उल्लेख करें)					
1.8	प्रचालित बैंक खातों की विशिष्टियां					
	बैंक का नाम	शाखा	खाता सं.	शाखा का आईएफएससी कोड		
1.9	संचालित सर्वेक्षण का ब्यौरा, यदि कोई होः					
	प्राधिकारी, जिसने सर्वेक्षण संचालित किया		सर्वेक्षण की तारीख	सर्वेक्षण के परिणाम		
2.	विशिष्टियां					
2.1	कराधेय माल का मूल्य					
	माल का नाम		मूल्य (रुपयों में)	कर		
	(क)					
	(ख)					
	(ग)					
	(घ)					
	कुल					

2.2	विवरणी के अनुसार सारांश		पुस्तकों के अनुसार		विवरणी के अनुसार		अन्तर, यदि कोई हो
			माल का मूल्य	कर की रकम	माल का मूल्य	कर की रकम	
	(क)	पहली तिमाही					
	(ख)	दूसरी तिमाही					
	(ग)	तीसरी तिमाही					
	(घ)	चौथी तिमाही					
	कर की कुल रकम						

2.3	संदाय का ब्यौरा					
क्र. सं.	कर की रकम	निक्षेप की नियत तारीख	निक्षेप की तारीख	विलम्ब की कालावधि, यदि कोई हो	संदेय ब्याज	ब्याज के निक्षेप की तारीख
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						

2.4	कुल संदेय रकम	
	कर + ब्याज	रु0 .....
	निक्षिप्त रकम	रु0 .....
	शोध्य अतिशेष / अधिक संदत्त	रु0 .....

3. अन्य कोई जानकारी जो व्यवहारी वर्णित करना चाहता होः .....
.....
.....

घोषणा

मैं/हम सत्यापित करते हैं कि उक्त जानकारी और उसके संलग्नक मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास के आधार पर सत्य और सही हैं।

स्थान :
तारीख :

(हस्ताक्षर) .....
नाम
हैसियत

अभिस्वीकृति

	पहचान सं.	तारीख
1.	रजिस्ट्रीकरण सं.	
2.	व्यवहारी का पूरा नाम	
3.	कराधेय माल का मूल्य	
4.	प्र.क.स्था.क्षे. अधिनियम के अधीन संदेय कुल कर	
5.	संदेय ब्याज	
6.	कुल संदेय रकम	
7.	निक्षिप्त रकम	
8.	अतिशेष (6-7)	

''

11. **प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.-6 का प्रतिस्थापन.-** उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.-6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.-6

[नियम 11क देखिए]

मांग के संदाय के लिए नोटिस

1.	व्यवहारी/व्यक्ति का नाम	
2.	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सं.	
3.	व्यवहारी/व्यक्ति का नाम और पूरा पता	
4.	व्यवहारी/व्यक्ति का ई-मेल पता	

यह सूचना दी जाती है कि ..... की कालावधि के लिए कर निर्धारण या अन्य आदेश के संबंध में रु. ..... (शब्दों में) ..... की रकम का, कर

के लिए आपका निर्धारण कर लिया गया है/ आप पर शास्ति अधिरोपित की गयी है/आप पर ब्याज प्रभारित किया गया है/ छूट या प्रशमन फीस आप द्वारा संदेय है।

आप द्वारा पहले ही निक्षिप्त कराये गये रु. ..... (शब्दों में भी) ..... का समायोजन कर लिया गया है।

बकाया रकम रु. ..... तारीख ..... वर्ष ..... तक/ इस नोटिस की तामील से तीस दिन के भीतर खजाने में या राज्य सरकार की ओर से धन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत बैंक में आप द्वारा संदत्त की जायेगी।

यह ध्यान रहे कि यदि रकम उक्त समय के भीतर संदत्त नहीं की जाती है तो यह भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूलीय होगी और आपसे अधिनियम में उपबंधित वसूली की किसी भी रीति से वसूल की जायेगी और इसके अतिरिक्त आप अधिनियम के अधीन अभियोजन के दायी भी होंगे।

मुहर प्राधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित''
संलग्नकः
तारीख :

12. **प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.-7, प्र.क.स्था.क्षे.-8, प्र.क.स्था.क्षे.-9, प्र.क.स्था.क्षे.-10 और प्र.क.स्था.क्षे.-11 का हटाया जाना.-** उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.-7, प्र.क.स्था.क्षे.-8, प्र.क.स्था.क्षे.-9, प्र.क.स्था.क्षे.-10 और प्र.क. स्था.क्षे.-11 हटाये जायेंगे।

13. **प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.-22 का प्रतिस्थापन.-** उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.-22 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.-22
ई-चालान
[नियम 8 देखिए]
कर/रजिस्ट्रीकरण फीस/शास्ति और
प्रशमन धन के निक्षेप के लिए प्रवेश कर चालान

सर्किल	0042 माल और यात्रियों पर कर
वार्ड	106 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर
रजिस्ट्रीकरण सं.	001 कर संग्रहण
कर कालावधि ..... से ..... तक	

व्यवहारी / व्यक्ति का नाम	
पता (क) कर की रकम का अग्रिम संदाय (अंकों में) (1) प्रवेश कर (2) रजिस्ट्रीकरण फीस (3) शास्ति (4) प्रकीर्ण रकम	
(ख) मांग का निक्षेप (1) प्रवेश कर (2) रजिस्ट्रीकरण फीस (3) शास्ति (4) प्रकीर्ण रकम	

(ग)	अन्य प्राप्तियां (1) प्रशमन धन (2) प्रतिभूति (3) प्रकीर्ण प्राप्तियां	
कुल	(रुपये अंकों में .....) (रुपये शब्दों में .....)	

चालान पहचान संख्या (सी.आई.एन.)	बी.एस.आर. कोड	दिनांक	चालान सं.

इण्टरनेट बैंकिंग के जरिए आन लाइन संदाय
< बैंक का नाम >
< संग्रहण शाखा का नाम >

''

14. प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.-23 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.-23 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''[नियम 10(5) देखिए]'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''[नियम 11ख देखिए]'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

15. प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.-24 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.-24 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''[नियम 10(5) देखिए]'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''[नियम 11ख देखिए]'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

16. प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.-25 का जोड़ा जाना.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.-24 के पश्चात् निम्नलिखित नया प्ररूप जोड़ा जायेगा, अर्थात्.-

''प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.-25
(नियम 8 देखिए)
इलैक्ट्रोनिक रूप से किये गये संदाय का विवरण

क्र.सं.	निक्षेपकर्ता का नाम	र.प्र.सं.	निक्षेप की तारीख	मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	गौण शीर्ष	उप शीर्ष	बैंक सी.आई.एन.	रकम (रुपयों में)

बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम और मुहर''

[एफ.12(15)वित्त/कर/12-101]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. रविकुमार एस.,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 26 मार्च, 2012

एस.ओ.191.- राजस्थान (होटल और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान (होटल और बासों में) विलासों पर कर नियम, 1997 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान (होटल और बासों में) विलासों पर कर (संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) ये 1 अप्रेल, 2012 से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 6 का संशोधन.-** राजस्थान (होटल और बासों में) विलासों पर कर नियम, 1997, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के विद्यमान नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

''6. **विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना.-** (1) प्रत्येक होटलवाला प्ररूप एलटीएच-3 में तिमाही विवरणी और एलटीएच-3क में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रत्येक होटलवाला, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा अधिसूचित न किया जाये, विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक रूप से विवरणी प्रस्तुत करेगा। विवरणी होटलवाले द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित की जायेगी और यदि इसे डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित नहीं किया जाता है तो होटलवाला विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से जनित अभिस्वीकृति देगा और ऐसी विवरणी (विवरणियाँ) फाइल करने की अंतिम तारीख के पन्द्रह दिन के भीतर-भीतर इस पर अपने हस्ताक्षर करके उसके द्वारा सत्यापित की जायेगी, ऐसा करने में विफल होने पर विवरणी (विवरणियाँ) फाइल नहीं करने का मामला समझा जायेगा।

(3) प्रत्येक होटलवाला तिमाही विवरणी, तिमाही की समाप्ति के पैंतालीस दिन के भीतर-भीतर प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरणः 'तिमाही' से 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली तीन मास की कालावधि अभिप्रेत है।

(4) जहां कर या ब्याज, यदि कोई हो, की रकम इलैक्ट्रोनिक रुप से संदत्त नहीं की जाती है वहां होटलवाला ऐसी विवरणी(यों) के फाइल करने की अंतिम तारीख के पन्द्रह दिन के भीतर-भीतर विलास कर अधिकारी को निक्षेप के सबूत के रूप में प्ररूप एलटीएच-4 में चालान की प्रति प्रस्तुत करेगा।

(5) प्रत्येक होटलवाला सुसंगत वर्ष की समाप्ति से दस मास के भीतर-भीतर वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(6) जहां किसी होटलवाले को अपने द्वारा प्रस्तुत प्ररूप एलटीएच-3 में किसी भी लोप या गलती का पता चलता है वहां वह वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख के पूर्व किसी भी समय या धारा 17 के अधीन नोटिस प्राप्त होने पर, इनमें से जो भी पहले हो, पुनरीक्षित विवरणी दे सकेगा।

(7) उपर्युक्त उप-नियम (1) से (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 01.04.2012 के पूर्व की कालावधि के लिए विवरणी (विवरणियां), उस रीति से और ऐसे प्ररूप में, जो उस कालावधि के लिये प्रवृत्त था, प्रस्तुत की जा सकेगी।''

3. **नियम 7 का प्रतिस्थापन.-** उक्त नियमों के विद्यमान नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''**7. कर का निक्षेप.-** (1) जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा अधिसूचित न किया जाये, कर, मांग या अन्य राशि का संदाय, विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक रूप से, राज्य सरकार की ओर से धन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत बैंक में किया जायेगा। प्राधिकृत बैंक कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से प्ररुप एलटीएच-4क में ई-चालान जनित करेंगे। प्राधिकृत बैंक उसी दिन ऐसे ई-चालान के विवरण को राज्य के संबंधित खजाने को प्ररुप एलटीएच-5 में अग्रेषित भी करेंगे और ऐसे विवरण की एक प्रति महालेखाकार, राजस्थान को अग्रेषित की जायेगी। संदाय की तारीख वह तारीख समझी जायेगी जिसको प्ररूप एलटीएच-4क में ई-चालान जनित किया जाता है।

(2) राज्य सरकार द्वारा यथा-अधिसूचित होटलवालों का वर्ग कर, मांग या अन्य राशि का संदाय, प्ररूप एलटीएच-4 में चालान के माध्यम से या सम्बन्धित विलास कर अधिकारी के पक्ष में राजस्थान में स्थित किसी बैंक की किसी भी शाखा पर लिखे गये किसी मांगदेय ड्राफ्ट के माध्यम से, सरकारी खजाने में या राज्य सरकार की ओर से धन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत बैंक में करेगा। संदाय की तारीख वह तारीख समझी जायेगी जिसको राज्य सरकार के खाते में नकद या मांगदेय ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/चैक भुनाकर निक्षिप्त कराया जाता है।

(3) उप-नियम (2) के अधीन कर, मांग या अन्य राशि के निक्षेप पर बैंक चालान के भाग 4 और भाग 5 को उन पर अपनी मुहर लगाने के पश्चात् रकम निक्षिप्त कराने वाले व्यक्ति को लौटा देगा और ऐसे चालान का भाग 3 बैंक द्वारा खजाना या प्राधिकृत अधिकारी को भेजा जायेगा। चालान का भाग 1 और भाग 2 ऐसे बैंक द्वारा खजाने को भेजा जायेगा, और ऐसा खजाना चालान के भाग 1 को अपने पास रखेगा और भाग 2 को महालेखाकार, राजस्थान को अग्रेषित करेगा। संदाय करने वाला व्यक्ति चालान का भाग 5 अपने पास रखेगा और उसके भाग 4 को संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन, विवरणी, और अपील के ज्ञापन या अन्य दस्तावेज के साथ संलग्न करेगा।

4. **प्ररूप एलटीएच-3 का प्रतिस्थापन.-** उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप एलटीएच-3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

''प्ररूप एलटीएच-3

तिमाही विवरणी

[नियम 6 देखिए]

कालावधि ..... से ..... तक

1.	होटलवाले का नाम	
2.	होटलवाले का पूरा पता, दूरभाष, फेक्स, ई-मेल सहित	
3.	विलास कर एलटीएच सं.	
4.	पेन	
5.	कुल प्राप्तियां	
6.	कर के दायित्वाधीन प्राप्तियां	

7.	(क) हैरिटेज होटल : (i) ऑफ सीजन के दौरान प्राप्तियां	.....,..... की दर पर, रकम ..... रु.
	(ii) ऑफ सीजन को छोड़कर प्राप्तियां	.....,..... की दर पर, रकम ..... रु.
	(ख) अन्य होटल : (i) ऑफ सीजन के दौरान प्राप्तियां (ii) ऑफ सीजन को छोड़कर प्राप्तियां	.....,..... की दर पर, रकम ..... रु. .....,..... की दर पर, रकम ..... रु.
8.	संदेय कुल कर	
9.	निक्षिप्त कुल कर	
10.	अतिशेष संदेय/अधिक संदत्त कर, यदि कोई हो।	

11. निक्षिप्त कर का ब्यौरा

कर कालावधि (मास)	देय कर की रकम	निक्षेप की नियत तारीख	निक्षेप की तारीख	निक्षेप में विलम्ब	ब्याज	ब्याज के निक्षेप की तारीख
कुल रु.						

12.	कुल संदेय रकम	..... रु.
13.	कर + ब्याज	..... रु.
14.	निक्षिप्त रकम	..... रु.
15.	देय अतिशेष / अधिक संदत्त	..... रु.

16. कोई अन्य जानकारी जिसका होटलवाला उल्लेख करना चाहता है .....

17. संलग्नक :

1. प्ररूप एलटीएच-4 चालान का भाग 4 (यदि ई-संदाय नहीं किया गया है)
2. .....
3. .....
   .....

घोषणा

मैं/हम सत्यापित करते हैं कि उपर्युक्त जानकारी और इसके संलग्नक मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।

स्थान (हस्ताक्षर).....

तारीखः नाम

हैसियत

अभिस्वीकृति

पहचान सं. तारीख

1.	रजिस्ट्रीकरण सं.	
2.	होटलवाले का पूरा नाम	
3.	कुल पण्यावर्त (प्राप्तियां)	
4.	कराधेय पण्यावर्त (प्राप्तियां)	

5.	राजस्थान (होटल और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम के अधीन संदेय कुल कर	
6.	संदेय ब्याज	
7.	संदेय कुल रकम	
8.	निक्षिप्त रकम	
9.	अतिशेष / अधिक संदत्त, यदि कोई हो	

''

5. एलटीएच-3क का अंतःस्थापन.- उक्त नियमों से संलग्न इस प्रकार प्रतिस्थापित प्ररूप एलटीएच-3 के पश्चात् और विद्यमान प्ररूप एलटीएच-4 के पूर्व, निम्नलिखित नया प्ररूप एलटीएच-3क अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

''प्ररूप एलटीएच-3क
वार्षिक विवरणी
[नियम 6 देखिए]

वित्तीय वर्ष की कालावधि ..... से ..... तक

1.	होटलवाले का नाम			
2.	होटलवाले का पूरा पता			
3.	विलास कर एलटीएच सं.			
4.	पेन			
5.	होटलवाले की हैसियत			
6.	वर्ष के दौरान रजिस्ट्रीकरण में संशोधन, यदि कोई हो, के संबंध में सूचना			
7.	संधारित लेखा पुस्तकों की सूची (यदि लेखा पुस्तकें कम्प्यूटर प्रणाली में संधारित की जाती हैं तो ऐसी प्रणाली द्वारा तैयार की गयी लेखा पुस्तकों का उल्लेख करें)			
8.	प्रचालित बैंक खाते की विशिष्टियां			
	बैंक का नाम	शाखा	खाता सं.	शाखा का आई एफ एस सी कोड
9.	संचालित सर्वेक्षण (रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की जांच से भिन्न), यदि कोई हो, का ब्यौराः			
	प्राधिकारी, जिसने सर्वेक्षण संचालित किया	सर्वेक्षण की तारीख		सर्वेक्षण का परिणाम
10.	कुल प्राप्तियां			
11.	कर के दायित्वाधीन प्राप्तियां			
12.	विशिष्टियां			
	(क) हैरिटेज होटल : (i) ऑफ सीजन के दौरान प्राप्तियां (ii) ऑफ सीजन को छोड़कर प्राप्तियां			.....,..... की दर पर, रकम ..... रु. .....,..... की दर पर, रकम ..... रु.
	(ख) अन्य होटल : (i) ऑफ सीजन के दौरान प्राप्तियां (ii) ऑफ सीजन को छोड़कर प्राप्तियां			....., ... की दर पर, रकम ..... रु. ....., ... की दर पर, रकम ..... रु.
13.	पुस्तकों के अनुसार संदेय कर			

14.	बीजक के अनुसार संगृहीत कर	
15.	कुल संदेय कर (13 और 14 का अधिकतम)	
16.	निक्षिप्त कुल कर	
17.	अतिशेष संदेय कर, यदि कोई हो	

18.	विवरणी के अनुसार संक्षिप्त विवरण		पुस्तकों के अनुसार		विवरणी के अनुसार		अन्तर, यदि कोई हो
	फाइल करने की तारीख	कालावधि	पण्यावर्त (प्राप्तियां)	कर रकम	पण्यावर्त (प्राप्तियां)	कर रकम	
		पहली तिमाही					
		दूसरी तिमाही					
		तीसरी तिमाही					
		चौथी तिमाही					
		कुल					

19. संदाय का ब्यौरा

क्र. सं.	कर की रकम	निक्षेप की नियत तारीख	निक्षेप की तारीख	विलम्ब की कालावधि, यदि कोई हो	संदेय ब्याज	ब्याज के निक्षेप की तारीख
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						

13.	संदेय कुल रकम	..... रु.
14.	कर + ब्याज	..... रु.
15.	निक्षिप्त रकम	..... रु.
16.	अतिशेष देय/अधिक संदत्त	..... रु.

20. कोई अन्य जानकारी जिसका होटलवाला उल्लेख करना चाहता है : .....

21. संलग्नक : यदि कोई हो

घोषणा

मैं/हम सत्यापित करते हैं कि उपर्युक्त जानकारी और उसके संलग्नक मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।

स्थान (हस्ताक्षर).....

तारीखः नाम

हैसियत

अभिस्वीकृति

पहचान सं. तारीख

1.	रजिस्ट्रीकरण सं.	

2.	होटलवाले का पूरा नाम	
3.	कुल पण्यावर्त (प्राप्तियां)	
4.	कराधेय पण्यावर्त (प्राप्तियां)	
5.	राजस्थान (होटल और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम के अधीन संदेय कुल कर	
6.	संदेय ब्याज	
7.	संदेय कुल रकम	
8.	निक्षिप्त रकम	
9.	अतिशेष / अधिक संदत्त, यदि कोई हो	

,,

6. नये प्ररूप एलटीएच-4क और एलटीएच-5 का जोड़ा जाना.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप एलटीएच-4 के पश्चात् निम्नलिखित नये प्ररूप एलटीएच-4क और एलटीएच-5 जोड़े जायेंगे, अर्थात् :-

''प्ररूप एलटीएच-4क
विलास कर (होटल और बासों का) ई-चालान
[नियम 7 देखिए]

सर्किल	0045-वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क
वार्ड	105- विलास कर
रजिस्ट्रीकरण सं.	(001) - संगृहीत कर
कर कालावधि .... से ..... तक	(002) - होटलों पर विलास कर
होटलवाले का नाम	
पता	
(1) कर	
(2) अतिरिक्त माँग	
(i) कर	
(ii) ब्याज	
(iii) शास्ति	
(iv) अन्य	
महायोग (रूपये अंकों में)	
(रूपये शब्दों में)	
चालान पहचान सं. (सीआईएन)	बी.एस.आर. कोड तारीख चालान सं.

इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑन लाइन संदाय
<बैंक का नाम>
<संग्रह करने वाली शाखा का नाम>

प्ररूप एलटीएच-5
विलास कर (होटल और बासों का) ई-चालान
[नियम 7 देखिए]

इलैक्ट्रोनिक रूप से किये गये संदाय का विवरण

क्र. सं.	निक्षेपकर्ता का नाम	र. प्र. सं.	निक्षेप की तारीख	मुख्य शीर्ष	उप-मुख्य शीर्ष	गौण शीर्ष	उपशीर्ष	बैंक सीआईएन	रकम (रूपयों में)

बैंक पदधारी के हस्ताक्षर
पदनाम और मुहर''

[एफ.12(15)वित्त/कर/12-102]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. रविकुमार एस.,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 26 मार्च, 2012

एस.ओ.192.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 को और संशोधित करने के लिए उसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) ये 1 अप्रेल, 2012 से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 12 का संशोधन.-** राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 12 में,-

(i) उप-नियम (3) में, विद्यमान खण्ड (i) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ii) के पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड (i क) अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

''(i क) प्ररूप मूपक-01 ख में रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने के लिए शपथपत्र।''

(ii) उप-नियम (3) के खण्ड (vi) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट या स्थायी खाता संख्यांक या चालन अनुज्ञप्ति की प्रति'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''आयकर विभाग द्वारा आवंटित स्थायी खाता संख्यांक'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iii) विद्यमान उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित नया उप-नियम (4) जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

''(4) यदि प्ररूप मूपक-01 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए आवेदन प्ररूप में कारबार के स्थायी खाता संख्यांक के सम्बन्ध में ब्यौरे, शाखा के आईएफएससी कोड के साथ बैंक खाते, दूरभाष संख्यांक/मोबाइल संख्यांक और ई-मेल आई डी के सम्बन्ध में सूचना नहीं दी है तो यह समझा जायेगा कि रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण नहीं है।''

3. नियम 12 क का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 12 क के विद्यमान उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-नियम (4) जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

''(4) यदि प्ररूप मूपक-01 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए आवेदन प्ररूप में कारबार के स्थायी खाता संख्यांक के सम्बन्ध में ब्यौरे, शाखा के आईएफएससी कोड के साथ बैंक खाते, दूरभाष संख्यांक/मोबाइल संख्यांक और ई-मेल आई डी के सम्बन्ध में सूचना नहीं दी है तो यह समझा जायेगा कि रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण नहीं है।''

4. नियम 19 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 19 में,-

(i) विद्यमान उप-नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

''(5) प्ररूप मूपक-10 में विवरणी, उपर्युक्त उप-नियम (4) में प्रगणित से भिन्न समस्त व्यवहारियों द्वारा प्ररूप मूपक-07क में क्रयों के विवरण और प्ररूप मूपक-08क में विक्रयों के विवरण के साथ,-

(क) ऐसे व्यवहारियों द्वारा, जिन्होंने पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 को सम्मिलित करते हुए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अधीन कर के रूप में रु. 50,000/- से कम निक्षिप्त किये हैं, तिमाही की समाप्ति के साठ दिन के भीतर;

(ख) उपर्युक्त खण्ड (क) में प्रगणित से भिन्न व्यवहारियों द्वारा तिमाही की समाप्ति के 45 दिन के भीतर;

प्रस्तुत की जायेगी।''

(ii) उप-नियम (6) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''नौ मास'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''दस मास'' प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(iii) उप-नियम (8) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''प्ररूप मूपक-10'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''प्ररूप मूपक-10 या प्ररूप मूपक-10क या प्ररूप मूपक-11'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iv) विद्यमान उप-नियम (9) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-नियम (10) जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

''(10) जहां कोई व्यवहारी 01.4.2012 के पश्चात् की कालावधि की विवरणी के लिए धारा 20 के अधीन अधिसूचित कालावधि के भीतर देय कर निक्षिप्त कराने में विफल रहता है या धारा 21 के अधीन विहित कालावधि के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है वहां ऐसी विवरणी(याँ) देय कर, विलम्ब फीस और ब्याज, यदि कोई हो, के निक्षेप के सबूत के साथ प्रस्तुत की जायेगी। जहां ऐसा सबूत प्रस्तुत नहीं किया जाता है वहां इसे विवरणी के फाइल नहीं किये जाने का मामला समझा जायेगा।''

5. नियम 21 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 21 में, विद्यमान उप-नियम (14) के पश्चात् निम्नलिखित नया उप-नियम (15) जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

''(15) उपरोक्त उप-नियम (2) और (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सम्यक् रूप से भरा हुआ घोषणा प्ररूप मूपक-15 किसी व्यवहारी

द्वारा विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक रूप से अभिप्राप्त किया जा सकेगा।''

6. **नियम 35 का संशोधन.-** उक्त नियमों के नियम 35 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''निर्धारण प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी के आदेश में फेरफार करने वाला है तो निर्धारण प्राधिकारी या ऐसा अन्य प्राधिकृत अधिकारी'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''निर्धारण प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी या राज्य स्तरीय छानबीन समिति या जिला स्तरीय छानबीन समिति के आदेश में फेरफार करने वाला है तो निर्धारण प्राधिकारी या ऐसा अन्य प्राधिकृत अधिकारी या राज्य स्तरीय छानबीन समिति या जिला स्तरीय छानबीन समिति'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

7. **नियम 36 में संशोधन.-** उक्त नियमों के नियम 36 के उप-नियम (6) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''तथापि, संपरीक्षा रिपोर्ट,-

(i) वर्ष 2006-07 के लिए 31.03.2008 तक ;
(ii) वर्ष 2007-08 के लिए 31.03.2009 तक ;
(iii) वर्ष 2008-09 के लिए 31.01.2010 तक ; और
(iv) वर्ष 2009-10 के लिए 30.09.2011 तक,

दी जा सकेगी'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''तथापि, संपरीक्षा रिपोर्ट,-

(i) वर्ष 2006-07 के लिए 31.03.2008 तक ;
(ii) वर्ष 2007-08 के लिए 31.03.2009 तक ;
(iii) वर्ष 2008-09 के लिए 31.01.2010 तक ;
(iv) वर्ष 2009-10 के लिए 30.09.2011 तक ; और
(v) वर्ष 2010-11 के लिए 30.4.2012 तक,

दी जा सकेगी'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. **नियम 39 का प्रतिस्थापन.-** उक्त नियमों के विद्यमान नियम 39 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

''**39. कर, मांग या अन्य राशि के संदाय की रीति.-** (1) जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा अधिसूचित न किया जाये कर, मांग या अन्य राशि का संदाय, राज्य सरकार की ओर से धन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत बैंक में, विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक रूप से किया जायेगा। प्राधिकृत बैंक कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से प्ररूप मूपक-37क में ई-चालान तैयार करेंगे। प्राधिकृत बैंक उसी दिन ऐसे ई-चालान के विवरण को राज्य के सम्बंधित खजाने को प्ररूप मूपक-45क के भाग-क में भी अग्रेषित करेंगे और ऐसे विवरण की एक प्रति महालेखाकार, राजस्थान को अग्रेषित की जायेगी। प्ररूप मूपक-37क में ई-चालान पर उल्लिखित की गयी निक्षेप की तारीख ही संदाय की तारीख समझी जायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित व्यवहारियों का वर्ग कर, माँग या अन्य राशि का संदाय, प्ररूप मूपक 37 में चालान के माध्यम से या सम्बन्धित निर्धारण प्राधिकारी या किसी प्राधिकृत अधिकारी के पक्ष में, राजस्थान में स्थित किसी बैंक की किसी भी शाखा पर लिखे गये किसी मांगदेय ड्राफ्ट के माध्यम से, सरकारी खजाने में या राज्य सरकार की ओर से धन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत बैंक में करेगा। संदाय की तारीख वह तारीख होगी जिसको नकद निक्षिप्त किया जाता है या मांगदेय ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/चैक भुनाया जाता है और राज्य सरकार के खाते में निक्षिप्त किया जाता है।

(3) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2010 के अधीन या राज्य सरकार द्वारा किसी कस्टोमाइज्ड पैकेज के अधीन संवितरित, और राज्य सरकार के वाणिज्यिक

कर विभाग द्वारा संवितरित सहायिकी, यदि कोई हो, को प्ररूप मूपक-37 ख में किसी चालान के माध्यम से संदेय कर के प्रति समायोजित किया जायेगा। निक्षेप की तारीख वह तारीख होगी जिसको खजाने द्वारा समायोजन किया गया है।

(4) उप-नियम (2) या, यथास्थिति, (3) के अधीन कर, मांग या अन्य राशि के निक्षेप पर बैंक चालान के भाग 4 और भाग 5 को उन पर अपनी मुहर लगाने के पश्चात् रकम निक्षिप्त कराने वाले व्यक्ति को लौटा देगा और ऐसे चालान का भाग 3 बैंक द्वारा खजाना या प्राधिकृत अधिकारी को भेजा जायेगा। चालान का भाग 1 और भाग 2 ऐसे बैंक द्वारा खजाने को भेजा जायेगा, और ऐसा खजाना चालान के भाग 1 को अपने पास रखेगा और भाग 2 महालेखाकार, राजस्थान को प्रेषित करेगा। संदाय करने वाला व्यक्ति चालान का भाग 5 अपने पास रखेगा और उसके भाग 4 को संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन, विवरणी, अपील के ज्ञापन या अन्य दस्तावेज के साथ संलग्न करेगा।

(5) उप-नियम (1), (2) और (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ अधिनियम या नियमों या किसी अधिसूचना के अधीन निर्धारण प्राधिकारी या किसी जाँच चौकी या किसी उड़नदस्ते के प्रभारी या धारा 76 की उप-धारा (4) के अधीन प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी को संदेय कोई कर, माँग या अन्य राशि है वहाँ ऐसी रकम ऐसे प्राधिकारी या प्रभारी या अधिकारी या किसी कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा स्वीकार की जा सकेगी और निक्षेपकर्ता को प्ररूप मूपक-38 में रसीद जारी की जायेगी ।

(6) ऊपर उप-नियम (1) से 5 तक में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी धारा 2 के खण्ड (8) के अधीन विनिर्दिष्ट माल और पशुधन के संबंध में संविदाकार को कर की रकम किसी जांच चौकी विशेष पर या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए निक्षिप्त करेगा, जहाँ आयुक्त ने ऐसे संविदाकार को अधिनियम की धारा 77 के अधीन कर संगृहीत करने के लिए अनुज्ञा दी हो, और ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी ऐसे संविदाकार से प्ररूप मूपक-39 में रसीद प्राप्त करेगा।''

9. प्ररूप मूपक-01 का प्रतिस्थापनः- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान मूपक-01 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

''प्ररूप मूपक 01
(नियम 12(1) देखिये)
रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन

(बड़े अक्षरों में भरा जाये)

प्रेषिती
(रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी)

1.	व्यवहारी का नाम	
	क्या अप्रवासी व्यवहारी है	हाँ / नहीं
2.	कारबार के मुख्य स्थान का पता	
2.1	भवन सं./नाम/क्षेत्र	
2.2	नगर/ शहर	
2.3	जिला(राज्य)	
2.4	पिन कोड	
2.5	ई-मेल आईडी	
2.6	दूरभाष सं. / मोबाइल सं.	
2.7	फैक्स सं. (यदि कोई हो)	

3.	कारबार का स्थायी खाता संख्यांक (पेन) (एकल स्वामित्व के मामले में स्वत्वधारी को आवंटित पेन का उल्लेख किया जायेगा)	
4.	कारबार प्रारम्भ करने की तारीख	
5.	तारीख, जिससे रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिये दायी है	
6.	व्यवहारी का प्रकार	मूपक/धारा 3(2) के अधीन/धारा 5(1) के अधीन
7.	कारबार की प्रकृति	विनिर्माता/फुटकर विक्रेता/लिजिंग/ थोक विक्रेता/ संकर्म संविदाकार/ निर्यातकर्ता/ अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें
8.	व्यवहृत/ व्यवहृत किये जाने के लिये प्रस्तावित वस्तुएं	क्रय करने के आशय से विक्रय करने के आशय से
9.	कारबार का गठन स्वामित्व/भागीदारी/प्राईवेट लि. कम्पनी/ पब्लिक लि. कम्पनी/ पब्लिक सेक्टर उपक्रम/हि.अ.कु./ सहकारी सोसाइटी/क्लब/ न्यास/ केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग/ अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	
10.	स्वत्वधारी, भागीदारों, निदेशकों, कर्ता, शासकीय निकाय के न्यासी या सदस्य और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, यदि कोई हो, की विशिष्टियां	
(i)	पूरा नाम	
(ii)	पिता/ पति का नाम	
(iii)	जन्म तिथि	
(iv)	हैसियत	
(v)	हित की सीमा (% में)	
(vi)	स्थायी पता	
(vii)	दूरभाष सं./ मोबाईल सं.	
(viii)	पेन	
(ix)	ई-मेल आईडी	
(x)	व्यक्ति के स्वामित्व में की समस्त स्थावर सम्पति या जिसमें उसका हित/ संयुक्त हित है, का ब्यौरा (पते सहित)	
(xi)	किसी अन्य कारबार (कारबारों), यदि कोई हो, में हित की विशिष्टियां	
क	अन्य कारबार का नाम	
ख	अन्य कारबार का पूरा पता	
ग	रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (टिन)	
घ	कारबार में के हित की प्रकृति	
ड.	हित की सीमा (% में)	
11.	प्रतिभू / प्रतिभूति बन्धपत्र का ब्यौरा	
क	प्रतिभू की दशा में	
I	प्रतिभू I के कारबार का नाम	
	रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (टिन)	

II	प्रतिभू II के कारबार का नाम				
	रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (टिन)				
ख	नकद/ रा.ब.प. द्वारा दी गयी प्रतिभूति की दशा में, उसका ब्यौरा				
क्र.सं.	रकम			सं.	परिपक्वता की तारीख
1.					
2.					
3.					
ग	बैंक प्रत्याभूति द्वारा दी गयी प्रतिभूति की दशा में, उसका ब्यौरा				
1.	बैंक प्रत्याभूति की रकम				
2.	बैंक प्रत्याभूति की प्रभावी कालावधि				
3.	बैंक का नाम और शाखा का पता				
12.	बैंक खाते के सम्बन्ध में जानकारी				
1.	बैंक का नाम				
2.	शाखा का नाम और पता				
3.	खाता सं.				
4.	शाखा का आई.एफ.एस.सी. कोड				
13.	राज्य में शाखा (शाखाओं) / भाण्डागार (भाण्डागारों) को सम्मिलित करते हुए कारबार के अतिरिक्त स्थान (स्थानों) के ब्यौरे				
		कारखाना	गोदाम/ भांडागार	शाखा (शाखाएं)/ अतिरिक्त स्थान	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
1.	भवन सं./नाम/क्षेत्र				
2.	नगर/शहर				
3.	जिला (राज्य)				
4.	पिन कोड				
5.	ई-मेल आई.डी. (यदि कोई हो)				
6.	दूरभाष संख्या (संख्यायें) (यदि कोई हों)				
7.	फैक्स सं. (यदि कोई हो)				
14.	राज्य के बाहर कारबार की शाखा (शाखाओं)/ अतिरिक्त स्थान (स्थानों) के ब्यौरे				
1.	भवन सं./ नाम/ क्षेत्र				
2.	नगर/ शहर				
3.	जिला (राज्य)				
4.	पिन कोड				
5.	ई-मेल आई.डी.				
6.	दूरभाष संख्या (संख्याएं)				
7.	फैक्स सं. (यदि कोई हो)				
15.	कारबार प्रबंधक (प्रबंधकों) के ब्यौरे				
1.	कारबार प्रबंधक का नाम				
2.	भवन सं./ नाम/ क्षेत्र				
3.	नगर/ शहर				
4.	जिला (राज्य)				
5.	पिन कोड				

6.	ई-मेल आई.डी.	
7.	दूरभाष संख्या (संख्याएं)	
8.	फैक्स सं. (यदि कोई हो)	

के.वि.क. अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये विकल्प देने वाले व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किया जाये

16.	रजिस्ट्रीकरण का प्रकार	धारा 7(1) के अधीन, धारा 7(2) के अधीन
17.	अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में क्रय किये जाने वाले माल के प्रवर्ग	पुनर्विक्रय के लिये
		विक्रय हेतु माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में उपयोग के लिये
		दूरसंचार तंत्र में उपयोग के लिये
		खनन में उपयोग के लिये
		विद्युत या पावर के किसी अन्य रूप के उत्पादन या वितरण में उपयोग के लिये
		विक्रय/पुनर्विक्रय हेतु माल पैक करने में उपयोग के लिये

स्थान :
तारीख :

हस्ताक्षर :
नाम :
हैसियत :

सत्यापन

मैं/हम, प्रमाणित करता हूँ/ करते हैं कि इस प्ररूप और उसके साथ संलग्नकों (यदि कोई हों) में दी गयी सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मुझे/हमें इस कारबार के लिए र.प्र.सं. (टिन) पहले जारी नहीं किया गया है।

स्थान :
तारीख :

हस्ताक्षर
आवेदक (आवेदकों) के नाम
मुहर सहित हैसियत

अनुदेशः

1. समस्त प्रविष्टियां भरी जानी चाहिएं।
2. लागू वैकल्पिक खानों में ✓ का निशान लगायें।
3. यदि आवश्यक हो तो पृथक् पन्ना संलग्न करें।
4. आवेदन और समस्त संलग्नक दो प्रतियों में फाइल किये जायें।
5. ऊपर उल्लिखित विशिष्टियों में से किसी में भी परिवर्तन की दशा में विभाग को तीस दिन में सूचित किया जाना चाहिए।
6. यह प्ररूप निम्नलिखित द्वारा सत्यापित और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिएः
   (क) स्वत्वधारी समुत्थान की दशा में स्वत्वधारी।
   (ख) भागीदारी फर्म की दशा में प्रबन्ध भागीदार द्वारा और जहां कोई प्रबन्ध भागीदार न हो वहां उस दशा में समस्त भागीदारों द्वारा, जहाँ भागीदारी

विलेख न हो और भागीदारी विलेख होने की दशा में किसी एक भागीदार द्वारा।

(ग) कम्पनी की दशा में प्रबन्ध निदेशक या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता।

(घ) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में कर्ता।

(ड.) अन्य सभी मामलों में प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता।

अभिस्वीकृति

मैसर्स

से निम्नलिखित संलग्नकों को साथ प्ररूप मूपक-01 प्राप्त किया :

(i)

(ii)

(iii)

और इसी प्रकार आगे।

रसीद सं. तारीख : प्राप्त करने वाले पदधारी की मुहर सहित हस्ताक्षर

10. प्ररूप मू.प.क.-01क का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप मूपक-01क में क्रम संख्यांक 12 की मद संख्यांक 4 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''लेखा का प्रकार'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''शाखा का आई.एफ.एस.सी. कोड'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

11. मूपक-01ख का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप मूपक-01ख में विद्यमान अभिव्यक्ति ''ई-रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने के लिए शपथपत्र'' के स्थान पर अभिव्यक्ति'' रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने के लिए शपथपत्र'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

12. प्ररूप मूपक-10 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों में संलग्न विद्यमान प्ररूप मू.प.क.-10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''प्ररूप मूपक-10

{रामूपक नियमों का नियम 19 और के.वि.क. (राज.) नियमों का नियम 4 देखिए}

विवरणी

विवरणी कालावधि ..... से ..... तक

प्रतिदाय के लिए दावा किया गया		हां/नहीं										
1.	**साधारण जानकारी**											
1.1	रजिस्ट्रीकरण सं. (टिन):	**0**	**8**									
1.2	व्यवहारी का नाम और पूरा पता और उसका ई-मेल पता											
1.3	दूरभाष सं./मोबाईल सं.											
2. पण्यावर्त का ब्यौरा												**रकम**
2.1	सकल पण्यावर्त { धारा 4(2) के अधीन कर के दायित्वाधीन क्रय, अ.खु.की.का मूल्य (यदि अ.खु.की. पर कर संदाय करने का विकल्प दिया है), अवार्डर से प्राप्त संदाय, मालिक की ओर से विक्रीत माल (मू.प.क. 35) सहित}											
कटौती												

2.2(क)	रामूपक अधिनियम के अधीन विवरणी कालावधि के भीतर विक्रीत माल की विक्रय वापसी का पण्यावर्त	
2.2(ख)	केविक अधिनियम के अधीन विवरणी कालावधि के भीतर विक्रीत माल की विक्रय वापसी का पण्यावर्त	
2.2	विवरणी कालावधि के भीतर विक्रीत माल की विक्रय वापसी का पण्यावर्त {2.2(क)+ 2.2(ख)}	
2.3(क)	अनुसूची-1 में छूट प्राप्त (राज्य के भीतर विक्रीत)	
2.3(ख)	रामूपक अधिनियम की धारा 8(3) के अधीन अनुसूची-2 में पूर्ण रूप से छूटप्राप्त	
2.3(ग)	रामूपक अधिनियम की धारा 8(4) के अधीन सेज के संवर्धन या निर्यातों के लिए किये गये विक्रय	
2.3(घ)	राज्य के बाहर क्रय और विक्रीत माल के विक्रय	
2.3(ङ)	रामूपक अधिनियम की धारा 5 (प्रशमन स्कीम) के अधीन पण्यावर्त	
2.3(च)	रामूपक अधिनियम की धारा 8(3) (संकर्म संविदा पर छूट प्रमाणपत्र) के अधीन पण्यावर्त	
2.3(छ)	रामूपक अधिनियम की धारा 3(2) (स्विच ओवर के मामले में) के अधीन पण्यावर्त	
2.3(ज)	अन्य जो मू.प.क. के अधीन कर के दायित्वाधीन नहीं हैं, (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	
कुल पण्यावर्त (क) से (ज) तक		
2.4	प्रथम बिन्दु पर कराधेय माल, जिस पर पहले ही कर लग चुका है, का पण्यावर्त	
2.5	राज्य में मालिक की ओर से विक्रीत माल का पण्यावर्त (प्ररूप मूपक 36 क के विरूद्ध)	
2.6	प्राप्तियों से कटौती योग्य श्रम की रकम (संकर्म संविदाओं के मामले में)	
2.7	राज्य के भीतर निर्यातकर्ताओं को विक्रय (प्ररूप मूपक-15 के विरूद्ध)	
2.8	के.वि.क. अधिनियम की धारा 5(3) के अधीन निर्यात के अनुक्रम में विक्रय (प्ररूप ज के विरूद्ध)	
2.9	के.वि.क. अधिनियम की धारा 5(1) के अधीन निर्यात के अनुक्रम में विक्रय	
2.10	राज्य से बाहर विक्रय-शाखा/डिपो/स्टाक अन्तरण/परेषण विक्रय (प्ररूप च के विरूद्ध)	
2.11	के.वि.क. अधिनियम की धारा 6(2) के अधीन पश्चातवर्ती अन्तरराज्यिक विक्रय (प्ररूप ग और ड.1/ड. 2 के विरूद्ध)	
2.12	के.वि.क. अधिनियम की धारा 6(3) के अधीन अन्तरराज्यिक विक्रय (प्ररूप ञ के विरूद्ध)	
2.13	के.वि.क. अधिनियम की धारा 8(6) के अधीन सेज को किये गये अन्तरराज्यिक विक्रय (प्ररूप झ के विरूद्ध)	
2.14	के.वि.क. अधिनियम के अधीन छूटप्राप्त विक्रय	
2.15	अन्य कटौतियां, यदि कोई हों, (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	
2.16	**योग {2.2, 2.3 (क से ज तक), 2.4 से 2.15 तक**	
2.17	के.वि.क. अधिनियम के अधीन कराधेय पण्यावर्त	
2.18	**मूपक के अधीन कराधेय पण्यावर्त {(2.1)-(2.16)}-2.17**	

3. निर्गत कर (मूपक के अधीन कर दायित्व)

विक्रयों का ब्यौरा		वस्तु	पण्यावर्त (कृपया अनुदेश सं. 3 देखिए)	कर की रकम
3.1	1 प्रतिशत की दर पर विक्रय			
3.2	5 प्रतिशत की दर पर विक्रय			
3.3	14 प्रतिशत की दर पर विक्रय			
3.4	अन्य .... की दर पर			
3.4.1	अन्य .... की दर पर			
3.4.2	अन्य .... की दर पर			
3.5	अ.खु.की. पर कराधेय माल के विक्रय (राज्य के भीतर प्रथम विक्रय)			
3.5(क)	इकाई आधार पर कराधेय माल का विक्रय			
3.6	योगः {3.1 से 3.5(क) तक}			
3.6.1	प्रशमन फीस (यदि कोई हो)			
3.7	नियम 22(1)(ग) के अधीन राज्य के भीतर कराधेय माल की विक्रय वापसी (विवरणी कालावधि से भिन्न)			
3.7.1	डीजल के मामले में सैट ऑफ 0.54 की दर पर			
3.8	कुल निर्गत करः {(3.6+3.6.1) -(3.7+3.7.1)}			

4. के.वि.क. के अधीन कर दायित्व

	विक्रयों का ब्यौरा	वस्तु	पण्यावर्त	कर की रकम
4.1	2 प्रतिशत की दर पर प्ररूप ग के विरूद्ध अन्तरराज्यिक विक्रय			
4.2	..... प्रतिशत की दर पर प्ररूप ग के विरूद्ध अन्तरराज्यिक विक्रय			
4.3	..... प्रतिशत की दर पर प्ररूप ग के बिना अन्तरराज्यिक विक्रय			
4.4	राज्य के बाहर विक्रय -शाखा/डिपो/स्टाक अंतरण/परेषण विक्रय (..... प्रतिशत की दर पर प्ररूप च के बिना)			
4.5	के.वि.क. अधिनियम की धारा 6(2) के अधीन पश्चात्वर्ती अन्तरराज्यिक विक्रय (प्ररूप ग / ङ1/ ङ2 के बिना)			
4.6	के.वि.क. अधिनियम की धारा 6(3) के अधीन अन्तरराज्यिक विक्रय (प्ररूप ञ के बिना)			
4.7	के.वि.क. अधिनियम की धारा 8(6) के अधीन सेज के लिये किये गये अन्तरराज्यिक विक्रय (प्ररूप झ के बिना)			
4.8	अन्य ..... की दर पर			
4.9	योग : (4.1 से 4.8 तक)			
4.10	के.वि.क. अधिनियम की धारा 8क के अधीन कराधेय माल की विक्रय वापसी (विवरणी कालावधि से भिन्न)			
4.11	कुल के.वि.क. (4.9-4.10)			

5. क्रय कर

	क्रय का ब्यौरा	वस्तु	पण्यावर्त	कर की रकम
5.1	1 प्रतिशत की दर पर			
5.2	5 प्रतिशत की दर पर			
5.3	14 प्रतिशत की दर पर			
5.4	.... प्रतिशत की दर पर			
5.5	.... प्रतिशत की दर पर			
5.6	योग (5.1 से 5.5 तक)			

6. प्रतिवर्ती कर

	संव्यवहारों का ब्यौरा	वस्तु	पण्यावर्त	कर की रकम
6.1	क्रय किये गये माल की वापसी (विवरणी कालावधि से भिन्न)			
6.2	धारा 18(1)(क) से (छ) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए क्रय किये गये और अन्यथा व्ययनित माल, गैर-अनुज्ञेय आनुपातिक आगत कर मुजरा को सम्मिलित करते हुए।			
6.3	राज्य के बाहर विक्रय की दशा में (4 प्रतिशत तक)			
6.4	धारा 3(2) के अधीन विकल्प से अन्तरण (स्विच ओवर) की दशा में शेष स्टाक {नियम 17(3) देखिए}			
6.5	किसी अन्य मामले में (कृपया विनिर्दिष्ट करें)			
6.6	योग (6.1 से 6.5 तक)			

7. आगत कर और क्रयों का ब्यौरा

	क्रय	वस्तु	मूपक को अपवर्जित करते हुए क्रय मूल्य	आगत कर
7.1	1 प्रतिशत की दर पर क्रय			
7.2	5 प्रतिशत की दर पर क्रय			
7.3	14 प्रतिशत की दर पर क्रय			
7.4	.... प्रतिशत की दर पर क्रय			
7.5	.... प्रतिशत की दर पर क्रय			
7.6	पूंजीगत माल का क्रय			
7.7	योग (7.1 से 7.6 तक)			
7.8	व्यवहारी द्वारा 7क में दावाकृत आगत कर मुजरा			
7.9	क्रय वापसी (विवरणी कालावधि के भीतर किये गये क्रय)			
7.10	**कुल पात्र आगत कर मुजरा (7.8-7.9)**			
7.11	पूर्ववर्ती विवरणी से अग्रनीत आगत कर मुजरा की रकम			
7.12	**उपलब्ध कुल आगत कर मुजरा (7.10 + 7.11)**			

8. संदेय कर

क्र.सं.	विशिष्टियां	रकम	
8.1	निर्गत कर (3.8)		
8.2	विक्रय बीजक के अनुसार संगृहीत कर		
8.3	निर्गत कर (8.1 और 8.2 का अधिकतम)		
8.4	क्रय कर (5.6)		
8.5	प्रतिवर्ती कर (6.6)		
8.6	अन्य, यदि कोई हो, (विनिर्दिष्ट करें)		
8.7	कुल कर (8.3 से 8.6 तक)		
8.8	शुद्ध संदेय कर (8.7 – 7.12)		
8.9	आस्थगित कर (मूपक के अधीन)		आस्थगन का प्रतिशत विनिर्दिष्ट करें
8.10	संदेय रकम (+)/मुजरायोग्य (–){8.8–8.9}		
8.11	मूपक के अधीन निक्षिप्त रकम		
8.12	संदेय रकम (+)/मुजरायोग्य(–){8.10–8.11}		
8.13	के.वि.क. अधिनियम के अधीन शोध्य कर (4.11)		
8.14	आस्थगित कर (के.वि.क. के अधीन)		आस्थगन का प्रतिशत विनिर्दिष्ट करें
8.15	संदत्त प्रवेश कर का सैट ऑफ (के.वि.क. अधिनियम की धारा 8(5) के अधीन अधिसूचित वस्तुऐं जैसे पेपर, रंग और रंगने का मसाला, टैक्सटाईल सहायक, खाद्य तेल के लिए केवल के.वि.क. के मामले में)		
8.16	निक्षिप्त किया जाने वाला के.वि.क.		
8.17	समायोजित किया जाने वाला मुजरायोग्य आगत कर मुजरा		
8.18	संदेय के.वि.क.(8.16–8.17)		
8.19	के.वि.क. के अधीन निक्षिप्त रकम		
8.20	संदेय/मुजरायोग्य शुद्ध कर		
8.21	दावाकृत प्रतिदाय		
8.22	आगामी तिमाही के लिए अग्रनीत किया जाने वाला आगत कर मुजरा		

9. निक्षेपों का ब्यौरा–मूपक–37, मूपक 37क, मूपक 37ख, मूपक 38, मूपक 41(स्त्रोत पर कटौती का प्रमाणपत्र), मूपक 25(प्रतिदाय समायोजन आदेश) इत्यादि

संदाय प्रवर्ग (कृपया सही का निशान लगायें)			
देय कर का ब्यौरा			
कर कालावधि		कर का प्रकार (मूपक/केविक)	देय कर (रकम)
..... से	..... तक		

निक्षेप का ब्यौरा (मूपक + के.वि.क.)

कर कालावधि .....से	कर कालावधि ..... तक	नियत तारीख	कर का प्रकार	निक्षिप्त कर	निक्षेप की तारीख	निक्षेप में विलम्ब	ब्याज की रकम	ब्याज के निक्षेप की तारीख	निक्षेप की रीति	विवरण

10. विलम्ब फीस का ब्यौराः

विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख	
विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख	
विलम्ब फीस की रकम	
विलम्ब फीस के निक्षेप की तारीख	
निक्षेप की रीति	

11. अन्य कोई जानकारी जो व्यवहारी वर्णित करना चाहेः

संलग्नकः

1. मूपक-37 चालान का भाग-4 (यदि ई-संदाय न किया गया हो)
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

सत्यापन

मैं/हम सत्यापति करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त जानकारी तथा इसके संलग्नक मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

हस्ताक्षर
नाम :
तारीखः हैसियत :

अनुदेशः

1. विवरणी का प्रत्येक स्तम्भ भरें-जो स्तम्भ लागू न हों उनमें लागू नहीं लिखें।
2. जहां कहीं स्थान पर्याप्त न हो, अतिरिक्त पन्ना (पन्ने) संलग्न करें।
3. (क) आयातकर्ता या विनिर्माता द्वारा अधिकतम खुदरा कीमत (अ.खु.की.) आधार पर कर संदाय का विकल्प देने की दशा में, अ.खु.की. मूल्य को स्तम्भ 2.1 और 3.5 में दर्शित किया जाये।

(ख) जो व्यवहारी मूपक विक्रय के अतिरिक्त निम्नलिखित के संबंध में पण्यावर्त रखते हैं–

(i) धारा 5 के अधीन कर के संदाय का विकल्प

(ii) धारा 8(3)(छूट प्रमाणपत्र के अधीन संकर्म संविदा)

(iii) धारा 3(2) के अधीन कर के संदाय का विकल्प {3(2) से मूपक में अन्तरण (स्विच ओवर)}, मूपक–10 में पण्यावर्त सम्मिलित करेंगे और मूपक–10क में पण्यावर्त, कर दायित्व और कर का संदाय घोषित करेंगे।

अभिस्वीकृति

पहचान सं. **दिनांकः**

1.	रजिस्ट्रीकरण सं. (टिन)	0 8
2.	व्यवहारी का पूरा नाम	
3.	सकल पण्यावर्त	
4.	मूपक और के.वि.क. के अधीन संदेय कुल कर	
5.	संदेय कुल ब्याज	
6.	संदेय विलम्ब फीस	
7.	संदेय कुल रकम	
8.	दावाकृत कुल आगत कर मुजरा	
9.	मूपक और के.वि.क. के अधीन निक्षिप्त रकम	
10.	अतिशेष (8+9)–(7)	यदि मूल्य ऋणात्मक है तो विवरणी स्वीकार नहीं की जायेगी

''

13. प्ररूप मूपक–10क का प्रतिस्थापन.– उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप मूपक–10क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''प्ररूप मूपक–10क''

{नियम 19(6) देखिये}

वार्षिक विवरणी

भाग–क

1.	**साधारण जानकारी**	
1.1	व्यवहारी का नाम	
1.2	कारबार के मुख्य स्थान का दूरभाष, फैक्स, ई–मेल इत्यादि के साथ पता	
1.3	दूरभाष सं./मोबाईल सं.	
1.4	रजिस्ट्रीकरण सं. (टिन)	
1.5	व्यवहारी की हैसियत (जैसे स्वामित्वधारी/ भागीदारी/कम्पनी/अन्य) विनिर्दिष्ट करें	
1.6	वर्ष के दौरान रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में किया गया संशोधन, यदि कोई हो, का ब्यौरा	
1.7	विवरणी के अधीन कालावधि (वित्तीय वर्ष)	
1.8	कारबार की प्रकृतिः व्यापारी/विनिर्माता/ आयातकर्ता/ निर्यातकर्ता/ संकर्म संविदाकार/ पट्टाकर्ता/ अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	

1.9	संधारित लेखा पुस्तकों की सूची (यदि लेखा पुस्तकें कम्प्यूटर प्रणाली में संधारित की जाती हैं तो ऐसी प्रणाली द्वारा तैयार की गयी लेखा पुस्तकों का उल्लेख करें)							
1.10	प्रचालित बैंक खातों की विशिष्टियां							
	बैंक का नाम			शाखा		खाता सं.		शाखा का आईएफएससी कोड
1.11	विभाग से अभिप्राप्त किये गये कानूनी प्ररूपों का लेखा							
प्ररूप	आरंभिक अतिशेष	अभिप्राप्त किये गये	योग	प्रयुक्त किये गये	रद्द किये गये	गुम हुए	अतिशेष	रकम (शब्दों में) जिसके लिए प्ररूप प्रयुक्त किये गये
1.12	संचालित किये गये सर्वेक्षणों का ब्यौरा (र.प्र.जाँच से भिन्न), यदि कोई होः							
प्राधिकारी जिसने सर्वेक्षण संचालित किया				सर्वेक्षण की तारीख			सर्वेक्षण के परिणाम	

भाग ख

2. पण्यावर्त का ब्यौरा		**पुस्तकों के अनुसार**	**फाइल की गई विवरणी के अनुसार**	**अन्तर, यदि कोई हो**
2.1	सकल पण्यावर्त {धारा 4(2) के अधीन कर के दायित्वाधीन क्रय, अ.खु.की.का मूल्य (यदि अ.खु.की. पर कर संदाय करने का विकल्प दिया है), अवार्डर से प्राप्त संदाय, मालिक की ओर से विक्रीत माल (मू.प.क. 35) सहित}			
	कटौती			
2.2	विवरणी कालावधि के भीतर विक्रीत माल की विक्रय वापसी का पण्यावर्त (रामूपक + केविक विक्रय)			
2.3(क)	अनुसूची-1 में छूटप्राप्त (राज्य के भीतर विक्रीत)			
2.3(ख)	रामूपक अधिनियम की धारा 8(3) के अधीन अनुसूची-2 में पूर्ण रूप से छूटप्राप्त			
2.3(ग)	रामूपक अधिनियम की धारा 8(4) के अधीन सेज के संवर्धन या निर्यातों के लिए किये गये विक्रय			
2.3(घ)	राज्य के बाहर क्रय और विक्रीत माल के विक्रय			
2.3(ड.)	रामूपक अधिनियम की धारा 5 (प्रशमन स्कीम) के अधीन पण्यावर्त			

2.3(च)	रामूपक अधिनियम की धारा 8(3) (संकर्म संविदा पर छूट प्रमाणपत्र) के अधीन पण्यावर्त			
2.3(छ)	रामूपक अधिनियम की धारा 3(2) (स्विच ओवर के मामले में) के अधीन पण्यावर्त			
2.3(ज)	अन्य जो मू.प.क. के अधीन कर के दायित्वाधीन नहीं हैं (कृपया विनिर्दिष्ट करें)			
कुल पण्यावर्त (क) से (ज) तक				
2.4	प्रथम बिन्दु पर कराधेय माल, जिस पर पहले ही कर लग चुका है, का पण्यावर्त			
2.5	राज्य में मालिक की ओर से विक्रीत माल का पण्यावर्त (प्ररूप मूपक 36 क के विरूद्ध)			
2.6	प्राप्तियों से कटौती योग्य श्रम की रकम (संकर्म संविदाओं के मामले में)			
2.7	राज्य के भीतर निर्यातकर्ताओं को विक्रय (प्ररूप मूपक-15 के विरूद्ध)			
2.8	के.वि.क. अधिनियम की धारा 5(3) के अधीन निर्यात के अनुक्रम में विक्रय (प्ररूप ज के विरूद्ध)			
2.9	के.वि.क. अधिनियम की धारा 5(1) के अधीन निर्यात के अनुक्रम में विक्रय			
2.10	राज्य से बाहर विक्रय-शाखा/ डिपो/स्टाक अन्तरण/परेषण विक्रय (प्ररूप च के विरूद्ध)			
2.11	के.वि.क. अधिनियम की धारा 6(2) के अधीन पश्चातवर्ती अन्तरराज्यिक विक्रय			
2.12	के.वि.क. अधिनियम की धारा 6(3) के अधीन अन्तरराज्यिक विक्रय (प्ररूप ञ के विरूद्ध)			
2.13	के.वि.क. अधिनियम की धारा 8(6) के अधीन सेज को किये गये अन्तरराज्यिक विक्रय (प्ररूप झ के विरूद्ध)			
2.14	के.वि.क. अधिनियम के अधीन छूटप्राप्त विक्रय			
2.15	अन्य कटौतियां, यदि कोई हों			
2.16	**योग {2.2, 2.3 (क से ज तक), 2.4 से 2.15 तक**			
2.17	के.वि.क. अधिनियम के अधीन कराधेय पण्यावर्त			
2.18	**मूपक के अधीन कराधेय पण्यावर्त {(2.1)-(2.16)}-2.17**			

3. विक्रयों पर निर्गत कर का निर्धारण

कर की दर		पुस्तकों के अनुसार		फाइल की गयी विवरणी के अनुसार		अन्तर, यदि कोई हो
		पण्यावर्त	निर्गत कर	पण्यावर्त	निर्गत कर	
3.1	1 प्रतिशत की दर पर विक्रय					
3.2	5 प्रतिशत की दर पर विक्रय					
3.3	14 प्रतिशत की दर पर विक्रय					

3.4	अन्य .... की दर पर					
3.5	अन्य .... की दर पर					
3.6	अन्य .... की दर पर					
3.7	अ.खु.की माल का विक्रय (राज्य के भीतर प्रथम विक्रय)					
3.7(क)	इकाई आधार पर कराधेय माल का विक्रय					
3.8	योग					

4. के.वि.क. के अधीन कर दायित्व

विक्रयों का ब्यौरा		पुस्तकों के अनुसार		फाइल की गयी विवरणी के अनुसार		अन्तर, यदि कोई हो
		पण्यावर्त	कर की रकम	पण्यावर्त	कर की रकम	
4.1	2 प्रतिशत की दर पर प्ररूप ग के विरूद्ध अन्तरराज्यिक विक्रय					
4.2	..... प्रतिशत की दर पर प्ररूप ग के विरूद्ध अन्तरराज्यिक विक्रय					
4.3	..... प्रतिशत की दर पर प्ररूप ग के बिना अन्तरराज्यिक विक्रय					
4.4	राज्य के बाहर विक्रय -शाखा/डिपो/स्टाक अंतरण/ परेषण विक्रय (..... प्रतिशत की दर पर प्ररूप च के बिना)					
4.5	के.वि.क. अधिनियम की धारा 6(2) के अधीन पश्चात्वर्ती अन्तरराज्यिक विक्रय (प्ररूप ग / ड.1/ ड.2 के बिना)					
4.6	के.वि.क. अधिनियम की धारा 6(3) के अधीन अन्तरराज्यिक विक्रय (प्ररूप ञ के बिना)					
4.7	के.वि.क. अधिनियम की धारा 8(6) के अधीन सेज के लिये किये गये अन्तरराज्यिक विक्रय (प्ररूप झ के बिना)					
4.8	अन्य ..... की दर पर					
4.9	योग					
4.10	के.वि.क. अधिनियम की धारा 8क के अधीन कराधेय माल की विक्रय वापसी (विवरणी कालावधि से भिन्न)					
4.11	कुल शोध्य के.वि.क. कर					

5. क्रय कर

क्रय का ब्यौरा		पुस्तकों के अनुसार		विवरणी के अनुसार		अन्तर, यदि कोई हो
		पण्यावर्त	कर की रकम	पण्यावर्त	कर की रकम	
5.1	1 प्रतिशत की दर पर					
5.2	5 प्रतिशत की दर पर					
5.3	14 प्रतिशत की दर पर					
5.4	.... प्रतिशत की दर पर					
5.5	.... प्रतिशत की दर पर					
5.6	योग (5.1 से 5.5 तक)					

6. प्रतिवर्ती कर

संव्यवहारों का ब्यौरा		पुस्तकों के अनुसार		विवरणी के अनुसार		अन्तर, यदि कोई हो
		पण्यावर्त	कर की रकम	पण्यावर्त	कर की रकम	
6.1	क्रय किये गये माल की वापसी (विवरणी कालावधि से भिन्न)					
6.2	धारा 18(1)(क) से (छ) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए क्रय किये गये और अन्यथा व्ययनित माल, गैर-अनुज्ञेय आनुपातिक आगत कर मुजरा को सम्मिलित करते हुए।					
6.3	राज्य के बाहर विक्रय की दशा में (4 प्रतिशत तक)					
6.4	धारा 3(2) के विकल्प से अन्तरण (स्विच ओवर) की दशा में शेष स्टाक {नियम 17(3) देखिए}					
6.5	किसी अन्य मामले में (कृपया विनिर्दिष्ट करें)					
6.6	योग (6.1 से 6.5 तक)					

7. आगत कर और क्रयों का ब्यौरा

	क्रय	पुस्तकों के अनुसार		विवरणी के अनुसार		अन्तर, यदि कोई हो
		पण्यावर्त	कर की रकम	पण्यावर्त	कर की रकम	
7.1	1 प्रतिशत की दर पर क्रय					
7.2	5 प्रतिशत की दर पर क्रय					
7.3	14 प्रतिशत की दर पर क्रय					
7.4	.... प्रतिशत की दर पर क्रय					
7.5	.... प्रतिशत की दर पर क्रय					
7.6	पूंजीगत माल का क्रय					
7.7	योग					
7.8	व्यवहारी द्वारा 7क में दावाकृत आगत कर मुजरा					

7.9	क्रय वापसी (विवरणी कालावधि के भीतर किये गये क्रय)					
7.10	**कुल पात्र आगत कर मुजरा**					
7.11	अग्रनीत आगत कर मुजरा की रकम					
7.12	**उपलब्ध कुल आगत कर मुजरा**					

8. कर दायित्व

क्र.सं.	विशिष्टियां	पुस्तकों के अनुसार	फाइल की गयी विवरणी के अनुसार	अन्तर, यदि कोई हो
8.1	निर्गत कर (3.8)			
8.2	विक्रय बीजक के अनुसार संगृहीत कर			
8.3	निर्गत कर (8.1 और 8.2 का अधिकतम)			
8.4	क्रय कर (5.6)			
8.5	प्रतिवर्ती कर (6.6)			
8.6	अन्य, यदि कोई हो, (विनिर्दिष्ट करें)			
8.7	कुल कर (8.3 से 8.6 तक)			
8.8	कुल संदेय/मुजरायोग्य कर (8.7-7.12)			
8.9	आस्थगित कर (मूपक के अधीन)			
8.10	संदेय रकम (+)/**मुजरायोग्य** (-){8.8-8.9}			
8.11	मूपक के अधीन निक्षिप्त रकम			
8.12	संदेय रकम (+)/**मुजरायोग्य** (-){8.10-8.11}			
8.13	के.वि.क. अधिनियम के अधीन देय कर (4.11)			
8.14	आस्थगित कर (के.वि.क. के अधीन)			
8.15	संदत्त प्रवेश कर का सैट ऑफ (के.वि.क. अधिनियम की धारा 8(5) के अधीन अधिसूचित वस्तुऐं जैसे पेपर, रंग और रंगने का मसाला, टैक्सटाईल सहायक, खाद्य तेल के लिए केवल के. वि.क. के मामले में)			
8.16	निक्षिप्त किया जाने वाला के.वि.क.			
8.17	केविक में समायोजित किया जाने वाला मुजरायोग्य आगत कर मुजरा			
8.18	संदेय के.वि.क.			
8.19	के.वि.क. के अधीन निक्षिप्त रकम			
8.20	संदेय/अतिशेष शुद्ध कर			
8.21	दावाकृत प्रतिदाय			
8.22	आगामी वर्ष के लिए अग्रनीत किया जाने वाला आगत कर मुजरा			

9. वर्ष के दौरान कर संदाय का ब्यौराः

कर कालावधि .....से	कर कालावधि .... तक	नियत तारीख	कर का प्रकार	निक्षिप्त कर	निक्षेप की तारीख	निक्षेप में विलम्ब	ब्याज की रकम	ब्याज के निक्षेप की तारीख	निक्षेप की रीति	विवरण

10. विलम्ब फीस :

क्र.सं	तिमाही का नाम	विवरणी के फाइल करने की नियत तारीख	प्रस्तुत करने की तारीख	विवरणी फाइल करने में विलम्ब	विलम्ब फीस की रकम	विलम्ब फीस के निक्षेप की तारीख
1	पहली तिमाही					
2	दूसरी तिमाही					
3	तीसरी तिमाही					
4	चौथी तिमाही					
5	वार्षिक					

11. पुनरीक्षित विवरणी (यदि कोई हो):

क्र.सं.	तिमाही का नाम	पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख	पूर्व में प्रस्तुत किये गये प्ररूप मूपक-10 में पाया गया लोप या गलती

भाग ग

12. व्यापार खाता

ब्यौरा	रकम	ब्यौरा	रकम
आरंभिक स्टॉक		विक्रय	
छूटप्राप्त माल		रामूपक अधिनियम के अधीन विक्रय	
अ.खु.मू. माल		के.वि.क. अधिनियम के अधीन विक्रय	
प्रथम बिन्दु कराधेय माल		कुल	
1% की दर पर कराधेय माल		कार्य प्रगति पर	
5% की दर पर कराधेय माल		**समापन स्टॉक**	
14% की दर पर कराधेय माल		छूटप्राप्त माल	
.... % की दर पर कराधेय माल		अ.खु.मू. माल	

..... % की दर पर कराधेय माल		प्रथम बिन्दु कराधेय माल	
कार्य प्रगति पर		1% की दर पर कराधेय माल	
आरंभिक स्टॉक का योग		5% की दर पर कराधेय माल	
क्रय		14% की दर पर कराधेय माल	
छूटप्राप्त माल		.... % की दर पर कराधेय माल	
अ.खु.मू. माल		.... % की दर पर कराधेय माल	
		कार्य प्रगति पर	
प्रथम बिन्दु कराधेय माल		**समापन स्टॉक का योग**	
1% की दर पर कराधेय माल			
5% की दर पर कराधेय माल		**सकल हानि**	
14% की दर पर कराधेय माल			
.... % की दर पर कराधेय माल			
.... % की दर पर कराधेय माल			
कुल क्रय			
व्यय			
प्रत्यक्ष व्यय			
विनिर्माण व्यय			
अन्य			
सकल लाभ			
योग		**योग**	

13. राज्य के बाहर से परेषण/ स्टॉक अंतरण/ डिपो अंतरण पर विक्रय के लिये प्राप्त माल का विवरण

वस्तु	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान प्राप्त		कुल		वर्ष के दौरान विक्रीत		अन्यथा व्ययनित		अतिशेष	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य

14. कच्चे माल और तैयार माल के ब्यौरे (विनिर्माता की दशा में)

कच्चा माल			**तैयार माल**		
ब्यौरे	**मात्रा**	**मूल्य**	**ब्यौरे**	**मात्रा**	**मूल्य**
आरंभिक अतिशेष			आरंभिक अतिशेष		
वर्ष के दौरान क्रय किये गये			वर्ष के दौरान विनिर्मित		
कुल			कुल		
विनिर्माण में उपभुक्त			वर्ष के दौरान विक्रीत		
प्रक्रियाधीन					
अन्यथा व्ययनित (कृपया ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)			अन्यथा व्ययनित (कृपया ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)		
विनिर्माण प्रक्रिया में छीजत					
अतिशेष			अतिशेष		

भाग घ

15. अन्य जानकारी

15.1 क्या रियायती दरों पर दावाकृत समस्त विक्रयों के लिये रा.मू.प.क. अधिनियम और नियमों के अधीन यथा–अपेक्षित समस्त घोषणाएं प्राप्त हो गयी हैं, यदि नहीं, तो ब्यौरा दें

क्र.सं.	कालावधि (मास/ तिमाही / वर्ष, जो लागू हो)	क्रेता व्यवहारी का नाम	रकम

15.2 क्या मालिक से प्राप्त माल के विक्रयों के लिये रा.मू.प.क. अधिनियम और नियमों के अधीन अपेक्षित प्ररूप मूपक 36–क में समस्त घोषणाएं प्राप्त हो गयी हैं, यदि नहीं तो ब्यौरा दें

क्र.सं.	टिन सहित मालिक का नाम और पता	वस्तु	कुल विक्रय	निर्गत कर

15.3 क्या रियायती दरों पर दावाकृत समस्त विक्रयों के लिये के.वि.क. अधिनियम और नियमों के अधीन यथा–अपेक्षित समस्त घोषणायें प्राप्त हो गयी हैं, यदि नहीं तो ब्यौरा दें

क्र.सं.	कालावधि (मास/ तिमाही / वर्ष, जो लागू हो)	प्ररूप का नाम (ग, च, ड़–I, ड़– II, ज, झ, ञ)	क्रेता व्यवहारी का नाम	रकम (रु.)

घोषणा

मैं, ... सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि इस प्ररूप में दी गयी जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

नाम

तारीख हस्ताक्षर और हैसियत

अभिस्वीकृति

पहचान सं. तारीख

1.	रजिस्ट्रीकरण सं. (टिन)	0	8									
2.	व्यवहारी का पूरा नाम											
3.	सकल पण्यावर्त											
4.	मू.प.क. और के.वि.क. के अधीन संदेय कुल कर											
5.	कुल संदेय ब्याज											
6.	संदेय विलम्ब फीस											
7.	कुल संदेय रकम											
8.	दावाकृत कुल आ.क.मु.											

9.	मू.प.क. और के.वि.क. के अधीन निक्षिप्त रकम	
10.	अतिशेष (8+9)-(7)	यदि मूल्य ऋणात्मक है तो विवरणी स्वीकार नहीं की जायेगी।

''

14. प्ररूप मूपक-11 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप मूपक-11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

''प्ररूप मूपक-11
(नियम 19 देखिए)
विवरणी

1.	**साधारण सूचना**											
1.1	रजिस्ट्रीकरण सं. (टिन) :	0	8									
1.2	व्यवहारी का पूरा नामः											
1.3	कारबार के मुख्य स्थान का पता											
1.4	दूरभाष नम्बरः..... मोबाइल नम्बरः ..... ई-मेल आईडीः											

2. उन व्यवहारियों द्वारा भरा जाये जिन्होंने धारा 3(2) के अधीन कर के संदाय के लिए विकल्प दिया है।

2.1	सकल पण्यावर्तः	
	कटौती	
2.2	अनुज्ञेय विक्रय वापसी का पण्यावर्त	
2.3	छूट प्राप्त माल का पण्यावर्त	
2.4	प्रथम बिन्दू पर कराधेय ऐसा माल जिस पर पहले से ही कर लग चुका हो, का पण्यावर्त	
2.5	कुल कटौती (2.2 से 2.4)	
2.6	कराधेय पण्यावर्त (2.1)-(2.5)	
2.7	.....की दर पर संदेय कर	
2.8	कुल संदेय कर	

3. उन व्यवहारियों द्वारा भरा जाये जिन्होंने धारा 5 के अधीन कर के संदाय के लिए विकल्प दिया है।

	प्रशमन स्कीम का नाम जिसका विकल्प दिया गया हैः	
3.1	प्रशमन स्कीम के अधीन विवरणी कालावधि के लिए सकल पण्यावर्त	
3.2	विवरणी कालावधि के लिए संदेय प्रशमन रकम (i) स्तम्भ 3.2 के अनुसार प्रशमन रकम का ....प्रतिशत (ii) सुसंगत वर्ष के वार्षिक सकल पण्यावर्त के आधार पर (iii) अन्य,यदि कोई हो	
3.3	कुल प्रशमन रकम	

4. उन व्यवहारियों द्वारा भरा जाये जिन्होंने धारा 8(3) के अधीन छूट प्रमाणपत्र का विकल्प दिया है

क्र. सं.	अवार्डर का नाम	कार्य आदेश संख्या	तारीख	संकर्म का मूल्य	छू. प्र. सं.	छू. प्र. की तारीख	छू. प्र. जारी करने वाला प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8

अवार्डर से प्राप्त रकम	छू. प्र. फीस की दर	अन्य दर का विवरण	छू. प्र. फीस की रकम	छू. प्र. फीस निक्षेप का ब्यौरा (अवार्डर द्वारा)	छू. प्र. फीस निक्षेप का ब्यौरा (संविदाकार द्वारा)	योग
9	10	11	12	13	14	15

5. उन व्यवहारियों द्वारा भरा जाये (i) जो अनन्य रूप से ऐसे माल का विक्रय करते हैं जिस पर प्रथम बिन्दु पर अधिनियम के अधीन कर लगा है;(ii) जो अनन्य रूप से छूटप्राप्त माल का व्यवहार करते हैंः

क्र.सं.	विवरण	रकम
5.1	सकल पण्यावर्त	
5.2	अनुज्ञेय विक्रय वापसी का पण्यावर्त	
5.3	अतिशेष (5.1 - 5.2)	

6. विवरणी कालावधि का व्यापार खाता (समस्त व्यवहारियों के लिए)

विवरण	रकम	विवरण	रकम
आरम्भिक अतिशेष		विक्रय	
क्रय		समापन स्टाक	
व्यय		सकल हानि	
सकल लाभ			
कुल		**कुल**	

7. निक्षेपों का ब्यौरा- मूपक-37, मूपक-37क, मूपक-37ख, मूपक-38, मूपक-41 (स्त्रोत पर कटौती का प्रमाणपत्र), मूपक-25 (प्रतिदाय समायोजन आदेश) इत्यादिः

8. निक्षेप का ब्यौरा

संदाय प्रवर्ग (कृपया सही का निशान लगायें)				
देय कर का ब्यौरा				
कर कालावधि		देय कर	देय ब्याज	कुल देय
.....से	.....तक			

निक्षेप का ब्यौरा

कर कालावधि .....से	कर कालावधि .....तक	नियत तारीख	निक्षिप्त कर	निक्षेप की तारीख	निक्षेप में विलम्ब	ब्याज की रकम	ब्याज के निक्षेप की तारीख	निक्षेप की रीति	विवरण

9. विलम्ब फीस का ब्यौरा :

विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख	
विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख	
विलम्ब फीस की रकम	
विलम्ब फीस के निक्षेप की तारीख	

10.	**संक्षिप्त कथन**	रकम
10.1	देय अतिशेष/अधिक संदत्त, यदि कोई हो	

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूं कि उक्त सूचना और इसके संलग्नक मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं ।

संलग्नकः (मूपक-37, मूपक-38, स्त्रोत पर कर कटौती प्रमाणपत्र)

हस्ताक्षर :
तारीख : नाम :
हैसियत :

अभिस्वीकृति

पहचान सं. तारीख

1.	रजिस्ट्रीकरण सं. (टिन)	0	8									
2.	व्यवहारी का पूरा नाम											
3.	सकल पण्यावर्त											
4.	संदेय कर की रकम											
5.	संदेय ब्याज											
6.	संदेय विलम्ब फीस											
7.	संदेय कुल रकम											
8.	निक्षिप्त रकम											
9.	अतिशेष (8-7)	यदि मूल्य ऋणात्मक है तो विवरणी स्वीकार्य नहीं होगी।										

,,

[एफ.12(15)वित्त/कर/12-103]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. रविकुमार एस.,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 26 मार्च, 2012

एस.ओ.193.- केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 74) की धारा 13 की उप-धारा (3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए राज्य सरकार केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान) नियम, 1957 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान) नियम, 2012 है।

(2) ये 1 अप्रेल, 2012 से प्रवृत होंगे।

2. **नियम 13 का संशोधन.-** केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान) नियम, 1957, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया है, के विद्यमान नियम 13 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''पन्द्रह दिन के भीतर'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''तीस दिन के भीतर'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. **नियम 16 का संशोधन.-** उक्त नियमों के नियम 16 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''यदि निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पहले अपेक्षित न हो तो, निर्धारण के पूर्व या उसके समय ही'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''प्ररूप के.वि.क. 11 में विवरण के साथ, ऐसे समय के भीतर जैसा केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और पण्यावर्त) नियम, 1957 के अधीन विहित किया जाये,'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. **नियम 16क का हटाया जाना.-** उक्त नियमों के विद्यमान नियम 16क को हटाया जायेगा।

5. **नियम 16ख का प्रतिस्थापन.-** उक्त नियमों के विद्यमान नियम 16ख के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''**16ख. धारा 6क के अधीन घोषणा का दिया जाना.-** प्रत्येक व्यवहारी, जो यह दावा करता है कि वह किसी माल के सम्बन्ध में केन्द्रीय अधिनियम के अधीन इस आधार पर कर देने का दायी नहीं है कि ऐसे माल का एक राज्य से किसी अन्य राज्य को संचलन, उसके द्वारा ऐसे माल का उसके कारबार के किसी भी अन्य स्थान को या उसके अभिकर्ता या, यथास्थिति, मालिक को अन्तरण किये जाने के कारण हुआ था, केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और पण्यावर्त) नियम, 1957 के नियम 12 के उप-नियम (5) के अधीन विहित प्ररूप 'च' का ''मूल'' चिन्हित प्रभाग निर्धारण प्राधिकारी को, प्ररूप के.वि.क. 12 में विवरण के साथ, उक्त नियमों के नियम 12 के उप-नियम(7) द्वारा अनुज्ञात समय के भीतर परिदत्त करेगा। व्यवहारी प्ररूप 'च' की 'दूसरी' प्रति चिन्हित प्रभाग को अपने पास रखेगा जिसे निरीक्षण के लिए, जब निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये, प्रस्तुत किया जायेगा।''

6. **नियम 17च का संशोधन.-** उक्त नियमों के नियम 17च में,-

(i) विद्यमान उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''(1) नियम 17 या नियम 17ग या 17ङ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और पण्यावर्त) नियम, 1957 के नियम 12 के अधीन विहित सम्यक् रूप से भरे हुए घोषणा प्ररूप किसी व्यवहारी द्वारा इस सम्बन्ध में अनुरोध प्रस्तुत कर विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक रूप से अभिप्राप्त किये जा सकेंगे।''

(ii) विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) अनुरोध के अनुमोदन के पश्चात्, व्यवहारी उन संव्यवहारों, जिनके लिए घोषणा प्ररूप अपेक्षित है, के ब्यौरे देते हुए विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से प्ररूप 9 ख में विवरण प्रस्तुत करेगा। उप-नियम (3), (4) और (5) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, घोषणा प्ररूप प्रणाली द्वारा जनित किये जायेंगे, जो व्यवहारी द्वारा विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड किये जा सकेंगे।"

7. प्ररूप के.वि.क. 9ख का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप के.वि.क. 9ख के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"प्ररूप केविक 9 ख

(नियम 17च देखिए)

घोषणा प्ररूप अभिप्राप्त करने के लिए ब्यौरे

व्यवहारी का नाम और पता	
रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (टिन)	

भाग-क

(ग/च/ज. प्ररूप अभिप्राप्त करने की दशा में भरा जाये)

क्र.सं.	प्ररूप का प्रकार	क्रय आदेश		बिल/कैश मीमो/चालान		विक्रेता/अन्तरक		विक्रेता/अन्तरक का नाम और पता	वस्तु का वर्णन	वस्तु की मात्रा	माल का मूल्य	माल क्रय करने का प्रयोजन
		सं.	तारीख	सं.	तारीख	टिन	राज्य					

भाग-ख

(ड.1/ड.2 प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने की दशा में भरा जाये)

क्र.सं.	प्ररूप का प्रकार	क्रेता व्यवहारी का नाम और पता	क्रेता व्यवहारी का टिन	स्थान का नाम जिसमें संचलन प्रारम्भ हुआ	राज्य का नाम जिसमें संचलन प्रारम्भ हुआ	स्थान का नाम जिसके लिए माल परेषित किया गया है	राज्य का नाम जिसके लिए माल परेषित किया गया है	बीजक सं.	तारीख	माल का वर्णन	मात्रा	मूल्य	आर.आर/जी.आर/परिवहन के किसी अन्य साधन के अन्य किसी दस्तावेज की सं. और तारीख

"

[एफ.12(15)वित्त/कर/12-104]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. रविकुमार एस.,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 26 मार्च, 2012

एस.ओ.194.- राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम,1999 (1999 का अधिनियम सं. 13), की धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा अधिसूचित करती है कि प्रत्येक व्यवहारी प्रत्येक मास के लिए उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर का प्रत्येक मास की समाप्ति से चौदह दिन के भीतर निक्षेप करेगा।

यह 01.04.2012 से प्रवृत्त होगी।

[एफ.12(15)वित्त/कर/12-105]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. रविकुमार एस.,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 26 मार्च, 2012

एस.ओ.195.- राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1999 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, उक्त नियमों के नियम 8 के उप-नियम (2) में यथा-उपबंधित रीति में कर, मांग या अन्य राशि के संदाय के प्रयोजन के लिए 01.04.2012 से व्यवहारियों का निम्नलिखित वर्ग इसके द्वारा अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

क्र.सं.	रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों का वर्ग
1	राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 39 के उप-नियम (1) के अधीन अधिसूचित व्यवहारी।

[एफ.12(15)वित्त/कर/12-106]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. रविकुमार एस.,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 26 मार्च, 2012

एस.ओ.196.- राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ12(25)एफडी/टैक्स/11-150, दिनांक 09.03.2011 में, इसके द्वारा तुंरत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

I. उक्त अधिसूचना में दी गयी सूची में,-

(i) क्रम संख्यांक 38 के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''4.00'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''10.00'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 53 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नयी क्रम संख्यांक 54 और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

''	54	यार्न	5.00 ''

[एफ.12(15)वित्त/कर/12-107]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. रविकुमार एस.,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 26 मार्च, 2012

एस.ओ.197.- राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-151, दिनांक 09.03.2011 में, इसके द्वारा तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में दी गयी सूची में, विद्यमान क्रम संख्यांक 50 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नये क्रम संख्यांक और उनकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

"

51	स्टे वायर
52	यार्न

"

[एफ.12(15)वित्त/कर/12-108]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. रविकुमार एस.,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 26 मार्च, 2012

एस.ओ.198.- राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटर यानों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम सं. 14), की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोक हित में ऐसा किया जाना समीचीन है, व्यक्तियों के निम्नलिखित वर्ग द्वारा स्थानीय क्षेत्र में लाये गये मोटर यानों पर अधिनियम के अधीन कर के संदाय से इसके द्वारा इस शर्त पर छूट देती है कि ऐसे व्यक्ति अधिनियम के अधीन संदाय के दायी कर की रकम और राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की साधारण विक्रय कर विधि के अधीन, या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम (1956 का अधिनियम सं. 74) के अधीन जहां से मोटर यान (यानों) को आयातित किया गया है, संदत्त कर की रकम, यदि कोई हो, के बीच अन्तर के बराबर रकम का निक्षेप करेगा, अर्थात्:-

क्र.सं.	व्यक्तियों का वर्ग
1	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
2	राजस्थान राज्य सरकार के सभी विभाग

यह 01.04.2010 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[एफ.12(15)वित्त/कर/12-109]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. रविकुमार एस.,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 26 मार्च, 2012

एस.ओ.199.- राजस्थान (होटल और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार इसके द्वारा अधिसूचित करती है कि प्रत्येक होटलवाला प्रत्येक मास के लिए उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर का प्रत्येक मास की समाप्ति से चौदह दिन के भीतर निक्षेप करेगा।

यह 01.04.2012 से प्रवृत्त होगी।

[एफ.12(15)वित्त/कर/12-110]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. रविकुमार एस.,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 26 मार्च, 2012

एस.ओ.200.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की समय-समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना सं. एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-37, दिनांक 06.05.2006, में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

(i) उक्त अधिसूचना के विद्यमान खण्ड 3.0 के स्थान पर 01-04-2012 से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"3.0 प्रशमन रकम :

3.1 कर के बदले प्रतिवर्ष प्रति व्यवहारी संदत्त की जाने वाली प्रशमन रकम, सुसंगत वर्ष में स्कीम के अन्तर्गत आने वाले माल के पण्यावर्त के प्रत्येक दो लाख रूपये या उसके भाग के लिए पांच सौ रुपये होगी। तथापि, स्कीम के अन्तर्गत आने वाले माल के दो लाख रूपये तक के पण्यावर्त के लिए प्रशमन रकम शून्य होगी।

3.2 किसी भी मामले में प्रशमन रकम पूर्ववर्ती वर्ष के लिए प्रशमन रकम से कम नहीं होगी।''

(ii) विद्यमान खण्ड 4.0 के स्थान पर 01-04-2012 से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

''4.0 प्रशमन रकम के संदाय की रीतिः

4.1 प्रशमन रकम चार तिमाही किस्तों में संदत्त की जायेगी। 1 अप्रेल से 30 जून तक की कालावधि के लिए 14 जुलाई तक, 1 जुलाई से 30 सितम्बर तक की कालावधि के लिए 14 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक की कालावधि के लिए 14 जनवरी तक, 1 जनवरी से 31 मार्च तक की कालावधि के लिए 14 अप्रेल तक किस्त संदत्त की जायेगी। संपूर्ण वर्ष के लिए वास्तविक पण्यावर्त के अनुसार अन्तर, यदि कोई हो, संगणित किया जायेगा और प्रशमन रकम का अतिशेष, यदि कोई हो, ठीक पश्चात्वर्ती वर्ष के 30 अप्रेल तक निक्षिप्त किया जायेगा।''

(iii) विद्यमान खण्ड 5.1 के स्थान पर 01.04.2012 से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

''5.1 इस स्कीम का विकल्प देने वाला कोई व्यवहारी वर्ष के प्रारम्भ होने के तीस दिन के भीतर, या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के जारी होने के तीस दिन के भीतर, इसमें से जो भी बाद में हो, अपने निर्धारण प्राधिकारी को एक सादे कागज पर नाम, पता, हैसियत, रजिस्ट्रीकरण संख्यांक, ठीक पूर्ववर्ती वर्ष का सकल वार्षिक पण्यावर्त, यदि कोई हो, ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में संदत्त कर, यदि कोई हो, और ऐसी अन्य जानकारी जो इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए सुसंगत हो, का कथन करते हुए आवेदन प्रस्तुत करेगा।''

(iv) विद्यमान खण्ड 5.2 के स्थान पर 01-04-2012 से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

''5.2 आवेदन की प्राप्ति पर निर्धारण प्राधिकारी इस अधिसूचना से संलग्न प्ररूप प्र.स्की-2006 में प्रशमन प्रमाणपत्र जारी करेगा।''

(v) खण्ड 5.4 के उप-खण्ड (ii) में,-

(i) अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न ''।'' के स्थान पर विराम चिह्न ''ः'' तुरन्त प्रभाव से प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ii) इस प्रकार प्रतिस्थापित विराम चिह्न ''ः'' के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक तुरन्त प्रभाव से जोड़ा जायेगा, अर्थात्ः-

''परन्तु जहां कोई व्यवहारी अपने निर्धारण प्राधिकारी को 31.03.2011 के पूर्व की कालावधि के लिए वार्षिक पण्यावर्त का ब्यौरा दे चुका है और स्कीम के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि में प्रशमन रकम का या सुसंगत वर्ष के 31 मार्च के पूर्व विलम्ब फीस या ब्याज, यदि कोई हो, का निक्षेप करने में विफल रहा है वहां उसे इस शर्त पर स्कीम का फायदा लेने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा कि वह स्कीम के अधीन निक्षेप करने के लिए अपेक्षित देय प्रशमन रकम के 100% के बराबर विलम्ब फीस के साथ ही देय प्रशमन रकम और ब्याज, 30 अप्रैल, 2012 तक निक्षेप करेगा।''

(vi) विद्यमान खण्ड 5.5 के स्थान पर 01-04-2012 से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

''5.5 प्रशमन प्रमाणपत्र का, प्रशमन कालावधि की समाप्ति से तीस दिन पूर्व निर्धारण प्राधिकारी को सादे कागज पर आवेदन प्रस्तुत करके, प्रति वर्ष नवीकरण किया जा सकेगा। प्रशमन प्रमाणपत्र और ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में निक्षेप की गयी प्रशमन रकम का ब्यौरा नवीकरण के आवेदन के साथ संलग्न किया जायेगा।''

(vii) विद्यमान खण्ड 6.0 को 01-04-2012 से हटाया जायेगा।

(viii) विद्यमान खण्ड 7.4 के स्थान पर 01-04-2012 से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

''7.4 कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जो स्कीम के अधीन प्रशमन रकम का संदाय करने का विकल्प देता है, ऐसे विकल्प के प्रयोग की तारीख को स्टाक में के माल के संबंध में आगत कर मुजरे का दावा करने का हकदार नहीं होगा और उसके द्वारा उपभुक्त आगत कर मुजरा, यदि कोई हो, को अविलम्ब प्रतिवर्तित किया जायेगा।''।

[एफ.12(15)वित्त/कर/12-111]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. रविकुमार एस.,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 26 मार्च, 2012

एस.ओ.201.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की समय-समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना सं. एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-39, दिनांक 06.05.2006, में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

(i) उक्त अधिसूचना के विद्यमान खण्ड 3.0 के स्थान पर 01-04-2012 से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

''3.0 प्रशमन रकम :

3.1 कर के बदले प्रतिवर्ष प्रति व्यवहारी संदत्त की जाने वाली प्रशमन रकम, सुसंगत वर्ष में स्कीम के अन्तर्गत आने वाले माल के पण्यावर्त के प्रत्येक दो लाख रूपये या उसके भाग के लिए पांच सौ रुपये होगी। तथापि, स्कीम के अन्तर्गत आने वाले माल के दो लाख रूपये तक के पण्यावर्त के लिए प्रशमन रकम शून्य होगी।

3.2 किसी भी मामले में प्रशमन रकम पूर्ववर्ती वर्ष के लिए प्रशमन रकम से कम नहीं होगी।''

(ii) विद्यमान खण्ड 4.0 के स्थान पर 01-04-2012 से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

''4.0 प्रशमन रकम के संदाय की रीतिः

4.1 प्रशमन रकम चार तिमाही किस्तों में संदत्त की जायेगी। 1 अप्रेल से 30 जून तक की कालावधि के लिए 14 जुलाई तक, 1 जुलाई से 30 सितम्बर तक की कालावधि के लिए 14 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक की कालावधि के लिए 14 जनवरी तक, 1 जनवरी से 31 मार्च तक की कालावधि के लिए 14 अप्रेल तक किस्त संदत्त की जायेगी। संपूर्ण वर्ष के लिए वास्तविक पण्यावर्त के अनुसार अन्तर, यदि कोई हो, संगणित किया जायेगा और प्रशमन रकम का अतिशेष, यदि कोई हो, ठीक पश्चात्वर्ती वर्ष के 30 अप्रेल तक निक्षिप्त किया जायेगा।''

(iii) विद्यमान खण्ड 5.1 के स्थान पर 01-04-2012 से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

''5.1 इस स्कीम का विकल्प देने वाला कोई व्यवहारी वर्ष के प्रारम्भ होने के तीस दिन के भीतर, या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के जारी होने के तीस दिन के भीतर, इसमें से जो भी बाद में हो, अपने निर्धारण प्राधिकारी को एक सादे कागज पर नाम, पता, हैसियत, रजिस्ट्रीकरण संख्यांक, ठीक पूर्ववर्ती वर्ष का सकल वार्षिक पण्यावर्त, यदि कोई हो, ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में संदत्त कर, यदि कोई हो, और ऐसी अन्य जानकारी जो इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए सुसंगत हो, का कथन करते हुए आवेदन प्रस्तुत करेगा।''

(iv) विद्यमान खण्ड 5.2 के स्थान पर 01-04-2012 से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

''5.2 आवेदन की प्राप्ति पर निर्धारण प्राधिकारी इस अधिसूचना से संलग्न प्ररूप प्र.स्की-2006 में प्रशमन प्रमाणपत्र जारी करेगा।''

(v) खण्ड 5.4 के उप-खण्ड (ii) में,-

(i) अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न ''।'' के स्थान पर विराम चिह्न ''ः'' तुरन्त प्रभाव से प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ii) इस प्रकार प्रतिस्थापित विराम चिह्न ''ः'' के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक तुरन्त प्रभाव से जोड़ा जायेगा, अर्थात्ः-

''परन्तु जहां कोई व्यवहारी अपने निर्धारण प्राधिकारी को 31.03.2011 के पूर्व की कालावधि के लिए वार्षिक पण्यावर्त का ब्यौरा दे चुका है और स्कीम के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि में प्रशमन रकम का या सुसंगत वर्ष के 31 मार्च के पूर्व विलम्ब फीस या ब्याज, यदि कोई हो, का निक्षेप करने में विफल रहा है वहां उसे इस शर्त पर स्कीम का फायदा लेने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा कि वह स्कीम के अधीन निक्षेप करने के लिए अपेक्षित देय प्रशमन रकम के 100% के बराबर विलम्ब फीस के साथ ही देय प्रशमन रकम और ब्याज, 30 अप्रैल, 2012 तक निक्षेप करेगा।''

(vi) विद्यमान खण्ड 5.5 के स्थान पर 01-04-2012 से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

''5.5 प्रशमन प्रमाणपत्र का, प्रशमन कालावधि की समाप्ति से तीस दिन पूर्व निर्धारण प्राधिकारी को सादे कागज पर आवेदन प्रस्तुत करके, प्रति वर्ष नवीकरण किया जा सकेगा। प्रशमन प्रमाणपत्र और ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में निक्षेप की गयी प्रशमन रकम का ब्यौरा नवीकरण के आवेदन के साथ संलग्न किया जायेगा।''

(vii) विद्यमान खण्ड 6.0 को 01-04-2012 से हटाया जायेगा।

(viii) विद्यमान खण्ड 7.4 के स्थान पर 01-04-2012 से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

''7.4 कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जो स्कीम के अधीन प्रशमन रकम का संदाय करने का विकल्प देता है, ऐसे विकल्प के प्रयोग की तारीख को स्टाक में के माल के संबंध में आगत कर मुजरे का दावा करने का हकदार नहीं होगा और उसके द्वारा उपभुक्त आगत कर मुजरा, यदि कोई हो, को अविलम्ब प्रतिवर्तित किया जायेगा।''।

[एफ.12(15)वित्त/कर/12-112]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. रविकुमार एस.,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 26 मार्च, 2012

एस.ओ.202.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-164, दिनांक 15.03.2011 में 01.04.2012 से इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) विद्यमान खण्ड 3.0 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

''3.0 प्रशमन रकम :

3.1 कर के बदले प्रति वर्ष प्रति व्यवहारी संदत्त की जाने वाली प्रशमन रकम, सुसंगत वर्ष में स्कीम के अधीन आने वाले माल के पण्यावर्त के प्रत्येक दो लाख रूपये या उसके भाग के लिए पांच सौ रूपये होगी।

3.2 प्रशमन रकम किसी भी दशा में पूर्ववर्ती वर्ष की प्रशमन रकम से कम नहीं होगी।''

(ii) विद्यमान खण्ड 8.4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

''8.4 कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जो स्कीम के अधीन प्रशमन रकम का संदाय करने का विकल्प देता है, ऐसे विकल्प के प्रयोग करने की तारीख को स्टाक में के माल पर, उसके द्वारा उपभुक्त आगत कर मुजरा, यदि कोई हो, अविलम्ब प्रतिवर्तित किया जायेगा।''।

[एफ.12(15)वित्त/कर/12-113]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. रविकुमार एस.,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 26 मार्च, 2012

एस.ओ.203.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-80, दिनांक 11.8.2006 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में इसके द्वारा 01.04.2012 से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में दी गयी विद्यमान सूची के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''**सूची**

मद सं.	**संकर्म संविदा का विवरण**	**छूट फीस की दर, संविदा के कुल मूल्य का प्रतिशत**
1	2	3
1.	संकर्म संविदा जहां सामग्री की लागत कुल संविदा रकम के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है।	0.25
2.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा अवार्ड किये गये ईपीसी टर्नकी पावर परियोजना से संबंधित संकर्म संविदा। सड़कों, रनवे, पुलों, बांधों, नालियों, सुरंगों, चैनलों, बैराजों, डाइवर्जन, रेलवे ट्रेक, कॉजवे, सब-वे, स्पिल-वे, बाऊण्ड्रीवाल और वाटर हारवेस्टिंग संरचनाओं के विनिर्माण से संबंधित संकर्म संविदा।	1.00
3.	मद सं. 1 और 2 के अन्तर्गत नहीं आने वाली कोई अन्य प्रकार की संकर्म संविदा।	3.00

''

[एफ.12(15)वित्त/कर/12-114]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. रविकुमार एस.,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 26 मार्च, 2012

एस.ओ.204.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 39 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, उक्त नियमों के नियम 39 के उप-नियम (2) में यथा-उपबंधित रीति में कर, मांग या अन्य राशि के संदाय के प्रयोजन के लिए व्यवहारियों का निम्नलिखित वर्ग, 01.04.2012 से इसके द्वारा अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

क्र.सं.	रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों का वर्ग
1	व्यवहारी, जिन्होंने पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन कर को सम्मिलित करते हुए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अधीन कर के रूप में एक लाख रु. तक का निक्षेप किया है।

[एफ.12(15)वित्त/कर/12-115]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. रविकुमार एस.,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 26 मार्च, 2012

एस.ओ.205.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-1 में, इसके द्वारा तुरंत प्रभाव से, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची 1 में, विद्यमान क्रम संख्यांक 132 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नये क्रम संख्यांक और उनकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :-

"

133.	एनआरएचएम स्कीम के अधीन विक्रीत "फ्री डेज" ब्राण्ड के सैनेटरी नैपकिन	
134.	स्टोन डस्ट	
135.	(क) सौर ऊर्जा; (ख) विंड पावर; और (ग) राजस्थान सरकार की बायोमास से विद्युत उत्पादन की प्रोत्साहन नीति, 2010 में यथा-परिभाषित बायोमास से विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी और उनके पुर्जे	
136.	वेस्ट पेपर (रद्दी)	

"

[एफ.12(15)वित्त/कर/12-116]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. रविकुमार एस.,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 26 मार्च, 2012

एस.ओ.206.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना

समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-2 में, इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची-2 में, विद्यमान क्रम संख्यांक 57 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

"

58.	हैण्डीक्राफ्ट के विनिर्माण के लिए, राज्य के रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों को वुड ग्लू का विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी	

 "

[एफ.12(15)वित्त/कर/12-117]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. रविकुमार एस.,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 26 मार्च, 2012

एस.ओ.207.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, राज्य के किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा हैण्डीक्राफ्ट के विनिर्माण में अनन्य रूप से प्रयुक्त किये जाने के लिए राज्य के किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी को वुड ग्लू के विक्रय को, उस सीमा तक जिस तक कर की दर 5 प्रतिशत से अधिक हो, इस शर्त पर कर से इसके द्वारा छूट देती है कि ऐसा विक्रेता व्यवहारी नीचे दिये गये प्ररूप में क्रेता व्यवहारी से घोषणा अभिप्राप्त करे और निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करे :-

घोषणा

प्रेषितीः
(विक्रेता का नाम और पूरा पता)

यह प्रमाणित किया जाता है कि आपके मूपक बीजक सं ..... दिनांक ..... के अनुसार ..... रु. में आपसे क्रय किया गया वुड ग्लू राज्य में हैण्डीक्राफ्ट के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है अतः हम 5 प्रतिशत की दर पर इस माल का क्रय करने के लिए हकदार हैं।

स्थानः
दिनांकः

हस्ताक्षरः
नामः
पदनामः

[एफ.12(15)वित्त/कर/12-118]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. रविकुमार एस.,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 26 मार्च, 2012

एस.ओ.208.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 4 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-4 में इसके द्वारा, तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

1. उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-4 में,-
   (i) क्रम संख्यांक 105 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''टोनर और कार्टरिज को छोड़कर किन्तु एल्यूमिनियम प्लेट, ग्राफिक आर्ट फिल्म, प्लास्टर फिल्म को सम्मिलित करते हुए छपाई की स्याही'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''कार्टरिज को छोड़कर किन्तु टोनर, एल्यूमिनियम प्लेट, ग्राफिक आर्ट फिल्म और प्लास्टर फिल्म को सम्मिलित करते हुए छपाई की स्याही'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

   (ii) क्रम संख्यांक 125 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''चश्में, उनके भाग और संघटक, काण्टेक्ट लैन्स और लैन्स क्लीनर'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''सनग्लास, उनके भाग और संघटक, काण्टेक्ट लैन्स और लैन्स क्लीनर को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के चश्में'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

   (iii) क्रम संख्यांक 146क के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''वेस्ट पेपर (रद्दी), खाली बोतलें, टूटे ग्लास और प्लास्टिक अपशिष्ट'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''खाली बोतलें, टूटे ग्लास और प्लास्टिक अपशिष्ट'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

   (iv) क्रम संख्यांक 195 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''रोटो मोल्डेड प्लास्टिक स्टोरेज टैंक'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''प्लास्टिक वाटर स्टोरेज टैंक'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

   (v) विद्यमान क्रम संख्यांक 198 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नये क्रम संख्यांक और उनकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

''	199	टैण्ट, त्रिपाल	5	
	200	ऑटोमोबाइल बॉडी	5	''

2. उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-4 के भाग-क में, विद्यमान क्रम संख्यांक 26 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् और विद्यमान क्रम संख्यांक 27 और उसकी प्रविष्टियों के पूर्व निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक और उसकी प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

''	26क	आटोमेटेड टैलर मशीन (एटीएम)	5		''

[एफ.12(15)वित्त/कर/12-119]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. रविकुमार एस.,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 26 मार्च, 2012

एस.ओ.209.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 4 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-6 में इसके द्वारा, तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिनियम में संलग्न अनुसूची-6 में,-

(i) क्रम संख्यांक 4 के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''40'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''50'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) क्रम संख्यांक 5 के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''28'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''26'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iii) क्रम संख्यांक 13 के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''40'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''50'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.12(15)वित्त/कर/12-120]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. रविकुमार एस.,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 26 मार्च, 2012

एस.ओ.210.- राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 24) की धारा 7 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर की लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, मनोरंजन के सभी प्रवर्गों पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य मनोरंजन कर का, इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से परिहार करती है।

[एफ.12(15)वित्त/कर/12-121]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. रविकुमार एस.,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 26 मार्च, 2012

एस.ओ.211.- राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि राज्य में भूमि के बाजार मूल्य में सारभूत रूप से बढ़ोतरी हुई है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी दरें

या महानिरीक्षक, स्टाम्प द्वारा अनुमोदित दरें भूमि के विद्यमान बाजार मूल्य को प्रकट नहीं करती हैं, इसके द्वारा आदेश देती है कि जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी भूमि की बाजार दरों या, यथास्थिति, महानिरीक्षक, स्टाम्प द्वारा अनुमोदित दरों को पुनः अवधारित किया जायेगा और इन्हें समस्त क्षेत्रों में स्थित भूमि के 10 प्रतिशत तक तुरंत प्रभाव से बढ़ाया जायेगा।

[एफ.12(15)वित्त/कर/12-122]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. रविकुमार एस.,
शासन उप सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, 26 मार्च, 2012

एस.ओ.212.- राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.6(179)परि/कर/मु0/95/1पी, दिनांक 09.03.2010 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में,-

(i) क्रम संख्यांक 1 के विद्यमान खण्ड (क) और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

(क) इंजन क्षमता वाले दुपहिया वाहन	
(i) 125 सीसी तक	यान की लागत का 4%
(ii) 125 सीसी से अधिक	यान की लागत का 6%

"

(ii) क्रम संख्यांक 1 के विद्यमान खण्ड (ग) और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

(ग) चारपहिया यान	
ड्राइवर को सम्मिलित करते हुए 10 तक की सीट क्षमता वाले-	
(i) 2,50,000/- रुपये तक की लागत वाले यान	यान की लागत का 2.5%
(ii) 2,50,000/- रुपये से अधिक और 6,00,000/- रुपये तक की लागत वाले यान	यान की लागत का 5%
(iii) 6,00,000/- रुपये से अधिक की लागत वाले यान	यान की लागत का 8%

"

[एफ.6(179)परि/कर/मु0/2012/1क्यू]
राज्यपाल के आदेश से,

महेन्द्र सोनी,
शासन उप सचिव